कंपनी अधिनियम, 2013

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी

एसोसिएशन के लेख*+^

ए एम सी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड

१. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I में तालिका **"एफ"** में निहित नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि इन लेखों में या अधिनियम द्वारा उन्हें दोहराया या स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया जाता है। विनियम कंपनी के प्रबंधन के लिए हैं और इसके सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा पालन के लिए हैं, और कंपनी की वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के अधीन होंगे, जो विशेष रूप से इसके नियमों को निरस्त करने या बदलने या जोड़ने के संदर्भ में होंगे। संकल्प, या कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित के अनुसार, जैसा कि इन लेखों में निहित है।

<u>व्याख्या</u>

२. (१) इन उपहारों में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ होगा जब तक कि विषय या संदर्भ से बाहर न हो।

i. "कंपनी" का अर्थ है "ए एम सी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड"।
ii. "अधिनियम" या "उक्त अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 है और इसमें प्रत्येक वैधानिक संशोधन, प्रतिस्थापन या उसका पुन: अधिनियमन शामिल है, जो फिलहाल लागू है।
iii. "अनुच्छेद" का अर्थ है कंपनी के संघ के लेख जो मूल रूप से तैयार किए गए हैं या समय-समय पर बदले गए हैं।

---

* एसोसिएशन के अनुच्छेद के नए सेट को सदस्यों द्वारा 09 जुलाई, 2021 को आयोजित एक असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अपनाया गया था।

+ 05 अगस्त, 2021 को आयोजित एक असाधारण आम बैठक में सदस्यों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित करके एसोसिएशन के अनुच्छेद 119 ए को बदल दिया गया था।

^ 20 सितंबर, 2021 को आयोजित एक असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके सदस्यों द्वारा एसोसिएशन के अनुच्छेद 119 ए को बदल दिया गया था

iv. "परिवर्तन" में परिवर्धन, चूक और प्रतिस्थापन करना शामिल है।

v. "निदेशक मंडल" या "बोर्ड" का अर्थ कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है।

vi. "बुक एंड पेपर" और "बुक या पेपर" में अकाउंट की किताबें, डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट और रजिस्टर पेपर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शामिल हैं।

"खाते की किताबें" में निम्नलिखित के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड शामिल हैं-

i. किसी कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय की गई सभी राशियाँ और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्तियाँ और व्यय होते हैं;

ii. कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सभी बिक्री और खरीद;

iii. कंपनी की संपत्ति और देनदारियां; तथा

iv. एक कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारित लागत की मद जो उस धारा के तहत निर्दिष्ट कंपनियों के किसी भी वर्ग से संबंधित है।

vii. "उप-नियम, नियम और विनियम का अर्थ समय-समय पर लागू होने वाले समाशोधन निगम के उप-नियम, नियम या विनियम हैं।

व्याख्या: नियमों में मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स शामिल हैं.

viii. क्लियरिंग कॉरपोरेशन" का अर्थ कंपनी का एक उपक्रम है जिसमें

प्रतिभूतियों या अन्य उपकरणों या उत्पादों में ट्रेडों के समाशोधन और निपटान की गतिविधि होती है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में डी ल की जाती है या ट्रेड की जाती है।

ix. "समाशोधन सदस्य" का अर्थ समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्य के रूप में भर्ती किया गया व्यक्ति है, लेकिन कंपनी की सदस्यता को नहीं दर्शाता है।"

x. किसी कंपनी के संबंध में "वित्तीय विवरण" में शामिल हैं

i. वित्तीय वर्ष के अंत में एक बैलेंस शीट;

ii. एक लाभ और हानि खाता, या एक कंपनी के मामले में कोई गतिविधि जो लाभ के लिए नहीं है, वित्तीय वर्ष के लिए एक आय और व्यय खाता है;

iii. वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण;

iv. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, यदि लागू हो; तथा

v. उप-खंड (i) से उप-खंड (iv) में संदर्भित किसी भी दस्तावेज के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाला कोई व्याख्यात्मक नोट:

xi. किसी भी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि।

xii. स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (5) और (6) में संदर्भित एक स्वतंत्र निदेशक से है।

xiii. कंपनी के संबंध में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ है -

i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;

ii. कंपनी सचिव;

iii. पूर्णकालिक निदेशक;

iv. मुख्य वित्तीय अधिकारी;

v. ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नहीं हों, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया गया हो;

vi. किसी भी विभाग के प्रमुख के रूप में या ऐसे वरिष्ठ कार्यकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति शामिल है जो कंपनी में विभाग (विभागों) के प्रमुखों के पदानुक्रम में उच्च पद पर है या कोई भी व्यक्ति जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक को रिपोर्ट करता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक से दो स्तर तक का बोर्ड या कोई व्यक्ति; तथा

vii. ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा पहचाना जा सकता है;

xiv. "सदस्य" का अर्थ कंपनी के शेयरों के समय-समय पर विधिवत पंजीकृत धारक हैं और इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ग्राहक शामिल हैं।

xv. "माह" का अर्थ एक कैलेंडर माह है।

xvi. "कार्यालय" का अर्थ कंपनी का फिलहाल पंजीकृत कार्यालय है।

xvii. "जनता" में कोई भी सदस्य या जनता का वर्ग शामिल है, लेकिन इसमें कोई भी व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य या उनके

सहयोगी और एजेंट शामिल नहीं हैं;

xviii. "जनहित निदेशक" का अर्थ एक स्वतंत्र निदेशक है जो प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, जो सेबी की राय में उसकी भूमिका के विरोध में है।

xix. "रजिस्टर" का अर्थ है अधिनियम की धारा 88 के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर रखना।

"एससीआर अधिनियम" का अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 होगा और इसमें कुछ समय के लिए लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन को शामिल किया जाएगा।

xx. सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।

xxi. "सेबी अधिनियम" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 होगाऔर उस समय के लिए लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन को शामिल करें।

xxii. "एसईसीसी विनियम" का अर्थ है प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018

xxiii. "ट्रिब्यूनल" का अर्थ है अधिनियम की धारा 408 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण।

xxiv. "लिखित" और "लिखित में" में मुद्रण, टाइपराइटिंग, लिथोग्राफी और किसी भी अन्य तरीके शामिल होंगे जो दृश्यमान रूप में शब्दों का

प्रतिनिधित्व या पुनरुत्पादन करते हैं।

xxv. "वर्ष" का अर्थ है "कंपनी का वित्तीय वर्ष"।

२. शब्द आयात करने वाले व्यक्तियों में व्यक्ति, कंपनियां, निगम, फर्म, संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय, व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, ट्रस्ट, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या बैंक या कंपनियों की सहायक कंपनियां शामिल होंगी।

३. मर्दाना लिंग को आयात करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग और कंपनियों, निगमों, फर्मों आदि के मामले में इसके विपरीत और तटस्थ लिंग शामिल होंगे।

४. एकवचन आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे।

५. जब तक इन प्रस्तुतों में अन्यथा परिभाषित नहीं किया जाता है या जब तक संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है या एक अलग अर्थ इंगित करता है, इन उपहारों में होने वाले किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या एससीआर अधिनियम या सेबी अधिनियम या एसईसीसी विनियमों में है, या उसमें कोई संशोधन या पुनर्नियमन या उसके अधीन बनाए गए कोई नियम।

६. हेड नोट्स इसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगे।

७. उपरोक्त के रूप में इन लेखों में आने वाले किसी भी शब्द या

अभिव्यक्ति को छोड़कर, लेकिन इन लेखों में परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि विषय या संदर्भ के साथ असंगत न हो, अधिनियम या किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन या किसी अन्य के समान अर्थ होगा। इसके तहत बनाए गए नियम और/या विनियम।

८. SECC विनियमों और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे और इस लेख के कोई भी प्रावधान इन विनियमों के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे।

शेयर पूंजी

पूंजी

३ कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी एसोसिएशन के ज्ञापन के खंड V के अनुसार होगी, इन उपहारों के अनुसार समय-समय पर शेयर पूंजी को बढ़ाने या घटाने की शक्ति के साथ और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और कंपनी की पूंजी में शेयरों को कुछ समय के लिए विभाजित करने के लिए चाहे मूल हो या कई वर्गों में वृद्धि हो और क्रमशः ऐसे अधिमान्य, आस्थगित, योग्य या विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, प्रतिबंध या शर्तें हों, चाहे लाभांश, मतदान, वापसी के संबंध में हों पूंजी का या अन्यथा इन उपहारों के अनुसार फिलहाल और इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, शर्तों या प्रतिबंधों को इस तरह से बदलना, संशोधित करना या निरस्त करना जैसा कि अधिनियम द्वारा प्रदान किया जा सकता है या इन उपहारों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

सदस्यों और डिबेंचर-धारकों आदि का रजिस्टर।

४. कंपनी अधिनियम की धारा 88 और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अनुसार उसमें शामिल नामों के सूचकांक के साथ निम्नलिखित रजिस्टर रखेगी और उनका रखरखाव करेगी:

(ए) सदस्यों का रजिस्टर;

(बी) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर;

(सी) किसी अन्य सुरक्षा धारक का रजिस्टर;

(घ) लाभार्थी स्वामी का रजिस्टर।

सदस्यों और डिबेंचर-धारकों आदि के रजिस्टर का निरीक्षण।

५. अधिनियम की धारा 88 के तहत बनाए गए रजिस्टर और उनके सूचकांक, जब तक कि वे अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम की धारा 92 के तहत तैयार सभी वार्षिक रिटर्न की प्रतियों के साथ-साथ प्रमाणपत्रों की प्रतियों के अनुसार बंद कर दिए जाते हैं। उसके साथ संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, किसी भी सदस्य या डिबेंचर-धारक, या अन्य सुरक्षा धारक के निरीक्षण के लिए खुले होंगे, या लाभार्थी स्वामी, व्यवसाय के घंटों के दौरान, प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटे से कम के ऐसे उचित समय पर, जैसा कि बोर्ड बिना किसी शुल्क के भुगतान के निर्णय ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा। ऐसा

कोई भी सदस्य, डिबेंचर-धारक, अन्य सुरक्षा धारक, या लाभार्थी स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी शुल्क के उद्धरण ले सकता है या ऐसे रजिस्टर या प्रविष्टियों की एक प्रति की आवश्यकता हो सकती है या ऐसी राशि के भुगतान पर वापसी की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के अधीन।

कंपनी रजिस्टर, आदि का उद्धरण भेजती है।

६. कंपनी अनुरोध पर किसी भी सदस्य, डिबेंचर-धारक, लाभार्थी स्वामी या अन्य व्यक्ति को सदस्यों के रजिस्टर की एक प्रति, सदस्यों के सूचकांक, डिबेंचर धारकों के रजिस्टर और सूचकांक या उसके किसी भी हिस्से को इसके तहत रखे जाने के लिए भेजेगी। अधिनियम, ऐसी राशि के भुगतान पर जो अधिनियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। प्रति समय-समय पर संशोधित अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर भेजी जाएगी।

आवंटन पर प्रतिबंध।

७. निदेशक अधिनियम की धारा 39 और 40 में निहित आवंटन के संबंध में प्रतिबंध का पालन करेंगे और अधिनियम की धारा 39 में प्रदान किए गए आवंटन के अनुसार रिटर्न बना देंगे।

निदेशकों के निपटान में शेयर

८. अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, कंपनी की पूंजी में

फिलहाल के शेयर (कंपनी की किसी भी बढ़ी हुई पूंजी का हिस्सा बनने वाले किसी भी शेयर सहित) निदेशक मंडल के नियंत्रण में होंगे जो उन्हें या उनमें से किसी को ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में आवंटित या अन्यथा निपटान कर सकता है और ऐसे नियमों और शर्तों पर और या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर उचित और उचित समझें। बशर्ते कि आम बैठक में कंपनी की मंजूरी के अलावा किसी भी व्यक्ति को शेयरों को कॉल करने का विकल्प या अधिकार नहीं दिया जाएगा।

निदेशक पूरी तरह से प्रदत्त या आंशिक रूप से प्रदत्त के रूप में शेयरों का आवंटन कर सकते हैं

९. अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, निदेशक कंपनी की पूंजी में शेयरों को भुगतान या आंशिक भुगतान के रूप में किसी बेची गई संपत्ति या हस्तांतरित माल या आपूर्ति की गई मशीनरी या कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं और किसी भी शेयर के रूप में जारी कर सकते हैं। इस तरह से आवंटित किया जा सकता है पूरी तरह से प्रदत्त या आंशिक रूप से प्रदत्त के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि ऐसा जारी किया जाता है तो इसे पूरी तरह से प्रदत्त शेयर या आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर माना जाएगा।

शेयरों की स्वीकृति

१०. अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, निदेशक कंपनी की पूंजी में शेयरों को भुगतान या आंशिक भुगतान के रूप में किसी बेची गई संपत्ति या हस्तांतरित माल या आपूर्ति की गई मशीनरी या कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं और किसी भी शेयर के रूप में जारी कर सकते हैं। इस तरह से आवंटित किया जा सकता है पूरी तरह से प्रदत्त या आंशिक रूप से प्रदत्त के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि ऐसा जारी किया जाता है तो इसे पूरी तरह से प्रदत्त शेयर या आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर माना जाएगा।

जमा और कॉल, आदि तुरंत देय ऋण होने के लिए

११. पैसा, (यदि कोई हो), जो बोर्ड, उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी शेयर के आवंटन पर, उनके द्वारा आवंटित किसी भी शेयर के संबंध में जमा, कॉल या अन्यथा के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता या निर्देश देगा, तुरंत ऐसे शेयरों के धारक के नाम के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में आबंटिती के नाम को सम्मिलित करने पर, कंपनी द्वारा उसके आबंटिती से देय और वसूली योग्य ऋण बन जाता है, और तदनुसार उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

शेयरों पर किस्त

१२ यदि, किसी शेयर के आवंटन की शर्तों के अनुसार, पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा या उसका निर्गम मूल्य किश्तों में देय होगा, तो ऐसी प्रत्येक किश्त, जब देय हो, कंपनी को उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की

जाएगी, जिसके लिए, समय-समय पर और समय-समय पर, ऐसे शेयर का पंजीकृत धारक या उसका कानूनी प्रतिनिधि होगा।

समान वर्ग के शेयरों पर समान आधार पर होने की मांग

१३. जहां शेयरों पर आगे शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है, ऐसी कॉल समान वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी शेयरों पर एक समान आधार पर की जाएगी। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, समान नाममात्र मूल्य के शेयर, जिन पर विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया है, एक ही वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं।

कंपनी पंजीकृत धारकों के अलावा अन्य शेयरों में किसी भी हित को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है

१४. कानून द्वारा आवश्यक के अलावा, किसी भी व्यक्ति को कंपनी द्वारा किसी ट्रस्ट पर कोई शेयर रखने के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, और कंपनी किसी भी न्यायसंगत, आकस्मिक (उसकी सूचना होने पर भी) को पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगी, या किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगी। , किसी शेयर में भविष्य या आंशिक हित, या किसी शेयर के किसी भिन्नात्मक भाग में कोई हित, या (केवल इन विनियमों या कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) किसी भी शेयर के संबंध में कोई अन्य अधिकार, पंजीकृत धारक में उसकी संपूर्णता के पूर्ण अधिकार को छोड़कर।

कंपनी के फंड को कंपनी के शेयरों की खरीद या उधार पर लागू नहीं किया जा सकता है

१५. पूंजी में कमी (धारा ६७ या इसके पुन: अधिनियमन) से संबंधित प्रावधानों और अधिनियम के शेयरों और प्रतिभूतियों (धारा ६८ या इसके पुन: अधिनियमन) के बाय-बैक से संबंधित प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमा और तरीके को छोड़कर, कंपनी के फंड का कोई भी हिस्सा कंपनी के शेयरों की सुरक्षा पर खरीदने या उधार देने में नियोजित नहीं किया जाएगा। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी के पास अधिनियम की धारा ६७, ६८, ६९ और ७0 के प्रावधानों या इसके पुन: अधिनियमन के अनुसार अपने शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीदने की शक्ति और अधिकार होगा।

<u>सदस्यों का दायित्व</u>

१६. प्रत्येक सदस्य या उसके वारिस, निष्पादक या प्रशासक कंपनी को उसके शेयर या शेयरों द्वारा दर्शाए गए पूंजी के हिस्से का भुगतान करेंगे, जो उस समय के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों में ऐसे समय या समय पर और इस तरह से जैसा कि बोर्ड, समय-समय पर, उसके भुगतान की आवश्यकता या निर्धारण करेगा।

ट्रस्टों को मान्यता नहीं मिली

१७. सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा आदेशित या अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अलावा, सदस्यों, डिबेंचर-धारकों या कंपनी की किसी अन्य सुरक्षा के रजिस्टर पर व्यक्त या निहित या रचनात्मक किसी भी ट्रस्ट की कोई सूचना दर्ज नहीं की जाएगी।

हामीदारी आयोग

प्रतिभूतियां रखने के लिए कमीशन और ब्रोकरेज

१८. अधिनियम की धारा ४० के प्रावधानों के अधीन, कंपनी किसी भी समय एक कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान कर सकती है, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के संबंध में किसी भी व्यक्ति को पारस्परिक रूप से तय किया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

१९. इन अनुच्छेदों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत करने और डिपॉजिटरी अधिनियम, **१९९६**के प्रावधानों के अनुसार एक डीमैट रूप में प्रतिभूतियों की पेशकश करने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने की हकदार होगी।

निवेशकों के लिए विकल्प

२० (१) कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने या डिपॉजिटरी के पास प्रतिभूतियों को रखने का विकल्प होगा। ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का लाभकारी स्वामी है, किसी भी समय डिपॉजिटरी से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है, यदि डिपॉजिटरी अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किसी भी सुरक्षा के संबंध में कानून द्वारा अनुमति दी जाती है, और कंपनी, तरीके से और निर्धारित समय के भीतर, लाभकारी स्वामी को प्रतिभूतियों का आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी डिपॉजिटरी के पास अपनी सुरक्षा रखने का विकल्प चुनता है, तो कंपनी ऐसे डिपॉजिटरी को सुरक्षा के आवंटन के विवरण और सूचना प्राप्त होने पर सूचित करेगी,निक्षेपागार प्रतिभूति के हिताधिकारी स्वामी के रूप में आवंटी का नाम अपने अभिलेख में दर्ज करेगा।

निक्षेपागारों में प्रतिभूतियां परिवर्तनीय रूप में होंगी

(२१) निक्षेपागार के पास धारित सभी प्रतिभूतियां अभौतिक रूप में होंगी और वे परिवर्तनीय रूप में होंगी। अधिनियम की धारा ८८ और ८९ में निहित कुछ भी लाभकारी स्वामियों की ओर से उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में डिपॉजिटरी पर लागू नहीं होगा।

डिपॉजिटरी और लाभकारी मालिकों के अधिकार

(२२) (ए) अधिनियम या इन लेखों में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, लाभकारी मालिक की ओर से सुरक्षा के स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करने के उद्देश्य से डिपॉजिटरी को पंजीकृत मालिक माना जाएगा।

(बी) जैसा कि ऊपर (ए) में अन्यथा प्रदान किया गया है, प्रतिभूतियों के पंजीकृत मालिक के रूप में डिपॉजिटरी के पास उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में कोई मतदान अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

(सी) कंपनी की प्रतिभूतियों को रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और जिसका नाम डिपॉजिटरी कंपनी के रिकॉर्ड में लाभकारी स्वामी के रूप में दर्ज है, कंपनी का सदस्य होगा। प्रतिभूतियों का लाभार्थी स्वामी सभी अधिकारों और लाभों का हकदार होगा और अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी देनदारियों के अधीन होगा, जो एक डिपॉजिटरी के पास है।

दस्तावेजों की सेवा

(२३) इसके विपरीत अधिनियम या इन अनुच्छेदों में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी में रखा जाता है, ऐसे डिपॉजिटरी द्वारा कंपनी पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से या फ़्लॉपी या डिस्क की डिलीवरी के द्वारा लाभकारी स्वामित्व के रिकॉर्ड की सेवा की जा सकती है।

प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

(२४) अधिनियम की धारा 56 या इन लेखों में निहित कुछ भी एक हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा प्रभावित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा, दोनों को एक डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी मालिकों के रूप में दर्ज किया गया है।

डिपॉजिटरी में निपटाई गई प्रतिभूतियों का आवंटन

(२५) अधिनियम या इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रतिभूतियों का लेन-देन एक निक्षेपागार द्वारा किया जाता है, कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन पर तुरंत निक्षेपागार को उसके ब्यौरे की सूचना देगी।

निक्षेपागार में धारित प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या

(२६) कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिए विशिष्ट संख्या रखने की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम या इन लेखों में निहित कुछ भी डिपॉजिटरी के पास रखी गई प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा।

लाभकारी स्वामियों का रजिस्टर और सूचकांक

(२७) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत एक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर और इंडेक्स को इन लेखों के उद्देश्य के लिए रजिस्टर और सदस्यों और सुरक्षा धारकों के सूचकांक के रूप में माना जाएगा।

प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाए।

(२८) प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निष्पादित और जारी किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर किसी भी वैधानिक संशोधन / संशोधन सहित लागू हो सकता है। ऐसी प्रतिभूतियों का प्रमाण पत्र, अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन के दो महीने के भीतर या पंजीकरण के लिए आवेदन के एक महीने के भीतर वितरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, जब तक कि प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तें अन्यथा प्रदान न करें।

प्रमाणपत्र के लिए सदस्य का अधिकार

(२९) प्रत्येक सदस्य अपने नाम पर पंजीकृत प्रत्येक वर्ग या मूल्यवर्ग के सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र के भुगतान के बिना हकदार होगा या, यदि निदेशक ऐसा अनुमोदन करते हैं (ऐसे शुल्क या शुल्क का भुगतान करने पर या निदेशकों के विवेक पर शुल्क के भुगतान के बिना निदेशक समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं) प्रत्येक वर्ग के एक या अधिक शेयरों के लिए कई प्रमाणपत्र। शेयरों के प्रत्येक प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम निर्दिष्ट होगा जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है, शेयरों की संख्या जिसके संबंध में इसे जारी किया गया है और उस पर भुगतान की गई राशि इस तरह के रूप में होगी जैसा कि हो सकता है अधिनियम के तहत निर्धारित है। जहां किसी

सदस्य ने अपनी होल्डिंग में शामिल शेयरों का एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया है, वह बिना किसी शुल्क के शेष राशि के लिए एक प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

इसमें ऊपर निहित किसी भी बात के होते हुए भी, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, समय-समय पर कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्रों, डिबेंचर या बांड प्रमाणपत्रों या किसी अन्य प्रतिभूतियों के उप-विभाजन या समेकन के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है, बिक्री योग्य लॉट से कम के मूल्यवर्ग में, सिवाय जब ऐसे उप-विभाजन या समेकन को वैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए या कानून की सक्षम अदालत के आदेश पर करने की आवश्यकता होती है।

विरूपित, गुम या नष्ट होने के स्थान पर नया प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

(३०) (1) एक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है या एक प्रमाण पत्र का डुप्लिकेट जारी किया जा सकता है यदि ऐसा प्रमाण पत्र (i) खो गया या नष्ट हो गया है, या (ii) विकृत या विकृत या फटा हुआ है, तो उसे सौंप दिया जाता है कंपनी या (iii) के पास हस्तांतरण के समर्थन के लिए उसके पीछे कोई और जगह नहीं है।

(2) किसी प्रमाण पत्र को जारी करने या नवीनीकरण करने का तरीका या उसकी एक प्रति जारी करना, एक प्रमाण पत्र का रूप (मूल या नवीनीकृत) या उसकी एक प्रति, सदस्यों के रजिस्टर या रजिस्टर में दर्ज

किए जाने वाले विवरण नए और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र, ऐसे रजिस्टरों का रूप, शुल्क जिसके भुगतान पर नियम और शर्तें जिस पर एक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है या उसकी एक डुप्लिकेट जारी की जा सकती है, वह होगा जो अधिनियम और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

ज़ब्ती, समर्पण और ग्रहणाधिकार

सभी कॉलों का भुगतान होने तक सदस्य सदस्यता के विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं

(३१) कोई भी सदस्य एक सदस्य के रूप में कोई लाभांश प्राप्त करने या किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर पर, चाहे वह अकेले या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के साथ, ब्याज और व्यय सहित, देय और देय सभी कॉलों का भुगतान न कर दे। , यदि कोई।

कॉल या किस्त का भुगतान नहीं होने पर देनी होगी सूचना

(३२) यदि कोई सदस्य किसी भी कॉल या किस्त या किसी शेयर के संबंध में देय किसी भी पैसे के भुगतान के लिए नियत दिन पर या उससे पहले मूलधन या ब्याज के रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो निदेशक किसी भी समय उसके बाद किसी भी समय भुगतान कर सकते हैं। ऐसे समय के दौरान जब कॉल या किस्त या उसका कोई हिस्सा या अन्य पैसा अवैतनिक रहता है या उसके संबंध में कोई निर्णय या डिक्री

पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसे सदस्य या व्यक्ति (यदि कोई हो) पर नोटिस की तामील करता है। पारेषण द्वारा शेयर का हकदार है जिसके लिए उसे ऐसी कॉल या किस्त या उसके ऐसे हिस्से या अन्य पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता है जो किसी भी ब्याज के साथ अवैतनिक रहते हैं जो अर्जित हो सकते हैं और सभी खर्च (कानूनी या अन्यथा) जो कंपनी द्वारा भुगतान या खर्च किए गए हो सकते हैं इस तरह के भुगतान न करने के कारण।

सूचना का प्रपत्र

३३. नोटिस में एक दिन का नाम होगा जो नोटिस की तारीख से चौदह दिनों से कम नहीं होगा और वह स्थान या स्थान जिस पर ऐसी कॉल या किस्त या ऐसा हिस्सा या अन्य धन जैसा कि ऊपर कहा गया है और इस तरह के ब्याज और खर्च का भुगतान किया जाना है . नोटिस में यह भी कहा जाएगा कि नियत समय पर या उससे पहले भुगतान न करने की स्थिति में और नियत स्थान पर जिस हिस्से के संबंध में कॉल की गई थी या किस्त देय है, उसे जब्त कर लिया जाएगा।

भुगतान न करने पर शेयरों को जब्त कर लिया जाएगा

३४. यदि पूर्वोक्त किसी नोटिस की मांगों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कोई भी शेयर जिसके संबंध में ऐसा नोटिस दिया गया है, उसके बाद किसी भी समय सभी कॉल या किश्तों, ब्याज और व्यय या उसके संबंध में देय धन के भुगतान से पहले हो सकता है। , इस आशय के निदेशकों

के संकल्प द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह की जब्ती में, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जब्त किए गए शेयरों के संबंध में घोषित सभी लाभांश शामिल होंगे और जब्ती से पहले वास्तव में भुगतान नहीं किया जाएगा।

सदस्यों के रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि

३५. जब किसी शेयर को जब्त कर लिया गया हो तो उसकी तारीख के साथ जब्ती की प्रविष्टि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में की जाएगी।

ज़ब्त किए गए शेयर कंपनी की संपत्ति होने के लिए और बेचे जा सकते हैं आदि।

३६. इस प्रकार जब्त किए गए किसी भी शेयर को कंपनी की संपत्ति माना जाएगा और इसे उसके मूल धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर और इस तरह से बेचा जा सकता है, फिर से आवंटित किया जा सकता है या अन्यथा निपटाया जा सकता है, जैसा कि निदेशक उचित समझेंगे।

जब्ती रद्द करने की शक्ति

३७. निदेशक किसी भी समय इस तरह से जब्त किए गए किसी भी शेयर को बेचने, पुन: आवंटित या अन्यथा निपटाने से पहले, ऐसी शर्तों पर, जो वे उचित समझते हैं, रद्द कर सकते हैं।

शेयरधारक अभी भी ज़ब्ती और ब्याज के समय देय धन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं

३८. कोई भी सदस्य जिसके शेयरों को जब्त कर लिया गया है, जब्ती के बावजूद, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और कंपनी को सभी कॉल, किश्तों, ब्याज, व्यय और अन्य धन को जब्त करने के समय पर या ऐसे शेयरों के संबंध में भुगतान करेगा। जब्ती के समय से भुगतान तक ब्याज सहित, निदेशकों द्वारा निर्धारित दरों पर और यदि वे उचित समझें तो निदेशक पूरे या उसके एक हिस्से के भुगतान को लागू कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होंगे।

शेयरों पर कंपनी का ग्रहणाधिकार

३९. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के मामले में कंपनी के पास ऐसे शेयरों के संबंध में एक निश्चित समय पर बुलाए गए या देय सभी धन के लिए पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा। ऐसा कोई भी ग्रहणाधिकार अधिनियम की धारा 123 के अधीन ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों तक विस्तारित होगा।

बिक्री द्वारा ग्रहणाधिकार लागू करना

४०. इस तरह के ग्रहणाधिकार को लागू करने के उद्देश्य से, कंपनी उसके अधीन शेयरों को इस तरह से बेच सकती है जैसा वह उचित समझे, लेकिन कोई बिक्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि जिस राशि के

संबंध में ग्रहणाधिकार मौजूद है वह वर्तमान में देय है या चौदह दिनों की समाप्ति तक लिखित में नोटिस के बाद और राशि के ऐसे हिस्से के भुगतान की मांग करते हुए, जिसके संबंध में धारणाधिकार वर्तमान में देय है, सदस्य या उसके हकदार व्यक्ति को उसकी मृत्यु या दिवा लियेपन के कारण दिया गया है।

बिक्री की आय का आवेदन

४१. ऐसी बिक्री की लागत के भुगतान के बाद ऐसी किसी भी बिक्री की शुद्ध आय को ऋण या दायित्व की संतुष्टि के लिए या उस संबंध में लागू किया जाएगा जहां तक ग्रहणाधिकार मौजूद है, जहां तक वह वर्तमान में देय है और शेष (यदि कोई हो) भुगतान किया गया है सदस्य या व्यक्ति (यदि कोई हो) इस प्रकार बेचे गए शेयरों के प्रसारण के हकदार हैं।

जब्ती का प्रमाण पत्र

४२. किसी भी निदेशक, प्रबंधक या कंपनी के सचिव के हाथ में लिखित में एक प्रमाण पत्र कि एक शेयर के संबंध में कॉल किया गया था और उस प्रभाव के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा शेयर की जब्ती की गई थी, निर्णायक होगा इस तरह के शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के खिलाफ उसमें बताए गए तथ्य का सबूत।

जब्त किए गए शेयरों के क्रेता और आबंटिती का शीर्षक

४३. कंपनी किसी भी बिक्री, पुनर्आवंटन या उसके अन्य स्वभाव पर शेयर के

लिए दिया गया प्रतिफल, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकती है और जिस व्यक्ति को ऐसा शेयर बेचा जाता है, पुनः आवंटित किया जाता है या उसका निपटान किया जाता है, उसे शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति विचार के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं है, यदि कोई हो, और न ही शेयर के लिए उसका हक किसी भी अनियमितता या अमान्यता से प्रभावित होगा, जो कि शेयर की जब्ती, बिक्री, पुन: आवंटन या अन्य निपटान के संदर्भ में है और बिक्री से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का उपचार केवल नुकसान में होगा और कंपनी के खिलाफ विशेष रूप से।

जब्ती प्रावधान का आवेदन

४४. जब्ती के रूप में इन उपहारों के प्रावधान किसी भी राशि का भुगतान न करने की स्थिति में लागू होंगे, जो एक निश्चित समय पर शेयर जारी करने की शर्तों के अनुसार देय हो जाते हैं, जैसे कि वह विधिवत किए गए कॉल के आधार पर देय हो। और अधिसूचित किया।

जब्ती को रोकने के लिए आंशिक भुगतान नहीं

४५. न तो किसी शेयर के संबंध में कॉल या अन्य धन के लिए कंपनी के पक्ष में कोई निर्णय और न ही कोई डिक्री और न ही कोई आंशिक भुगतान या संतुष्टि और न ही कंपनी द्वारा किसी भी पैसे के एक हिस्से की रसीद जो समय-समय पर देय होगी किसी भी शेयर के संबंध में कोई भी सदस्य या तो मूलधन या ब्याज के रूप में और न ही किसी पैसे के

संबंध में कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी भोग के संबंध में ऐसे शेयरों की जब्ती को रोक देगा जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

कॉल

कॉल

४६. निदेशक, समय-समय पर, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों पर अवैतनिक सभी धन के संबंध में समय-समय पर ऐसी कॉल कर सकते हैं, न कि नियत समय पर देय उसके आवंटन की शर्तों के अनुसार, और प्रत्येक सदस्य उस पर किए गए प्रत्येक कॉल की राशि व्यक्तियों को और निदेशकों द्वारा नियुक्त समय और स्थान पर भुगतान करें। कॉल को किश्तों में देय किया जा सकता है।

संकल्प से आज तक कॉल करें

४७. एक कॉल को उस समय किया गया माना जाएगा जब ऐसी कॉल को अधिकृत करने वाले निदेशकों का संकल्प पारित किया गया था और सदस्यों द्वारा सदस्यों के रजिस्टर पर ऐसी तारीख पर या निदेशकों के विवेक पर बाद में देय किया जा सकता है। निदेशकों द्वारा निर्धारित तिथि।

कॉल की सूचना

४८. प्रत्येक कॉल के लिए कम से कम चौदह दिन की नोटिस दी जाएगी, जिसमें भुगतान का समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा, बशर्ते कि

इस तरह के कॉल के भुगतान के लिए समय से पहले निदेशक, सदस्यों को लिखित नोटिस द्वारा, उसे रद्द कर सकते हैं।

बोर्ड बढ़ा सकता है समय

४९. निदेशक समय-समय पर, अपने विवेक से, किसी भी कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित समय को बढ़ा सकते हैं और ऐसे समय को सभी या किसी भी सदस्य के लिए बढ़ा सकते हैं, जिसे निदेशक इस तरह के विस्तार के हकदार मानते हैं, लेकिन कोई भी सदस्य हकदार नहीं होगा। अनुग्रह और अनुग्रह के मामले के अलावा किसी भी तरह के विस्तार के लिए।

संयुक्त धारकों का दायित्व

५०. किसी शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में सभी कॉलों का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।

नियत समय पर या कॉल के रूप में किश्तों में देय राशि

५१. यदि किसी शेयर के निर्गम की शर्तों द्वारा या अन्यथा किसी भी राशि को किसी निश्चित समय पर या किश्तों द्वारा निश्चित समय पर देय किया जाता है, चाहे शेयर की राशि के कारण या प्रीमियम के रूप में, ऐसी हर राशि या किस्त देय होगी जैसे कि यह निदेशकों द्वारा विधिवत किया गया एक कॉल था और जिसकी उचित सूचना दी गई है और कॉल के संबंध में यहां निहित सभी प्रावधान ऐसी राशि या किस्त से संबंधित होंगे

जब कॉल या किस्त पर ब्याज देय हो

५२. यदि किसी कॉल या किस्त के संबंध में देय राशि का भुगतान उसके भुगतान के लिए नियत दिन पर या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो उस समय के धारक या उस हिस्से का आबंटित किया जाता है जिसके संबंध में कॉल की गई होगी या किस्त देय होगी , उसी दर पर ब्याज का भुगतान करेंगे जैसा कि निदेशक समय-समय पर भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक तय करेंगे, लेकिन निदेशक इस तरह के ब्याज के भुगतान को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं।

कॉल की प्रत्याशा में भुगतान पर ब्याज लग सकता है

५३. निदेशक, यदि वे उचित समझें, किसी भी सदस्य से प्राप्त कर सकते हैं, जो उसे आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, उसके द्वारा रखे गए शेयरों पर देय राशि का पूरा या कोई हिस्सा वास्तव में मांग की गई राशि से अधिक है, और इस तरह अग्रिम में भुगतान किए गए धन पर या तो समय-समय पर उन शेयरों पर की गई कॉलों की राशि से अधिक है जिनके संबंध में ऐसी अग्रिम की गई है, कंपनी ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है, जैसा कि सदस्य ऐसे अग्रिम का भुगतान करता है और निदेशक सहमत होते हैं। निदेशक किसी भी समय ऐसे सदस्य को एक महीने की लिखित सूचना देकर इतनी अग्रिम राशि का भुगतान कर सकते हैं। बशर्ते

सदस्य उसके द्वारा भुगतान किए गए धन के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार और लाभांश का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह भुगतान नहीं हो जाता, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए, वर्तमान में देय हो जाता है।

शेयरों का हस्तांतरण और हस्तांतरण

हस्तांतरण के साधन के उत्पादन के अलावा स्थानांतरण पंजीकृत नहीं है

५४ (१) कंपनी कंपनी के शेयरों, या डिबेंचर या किसी अन्य सुरक्षा के हस्तांतरण को तब तक पंजीकृत नहीं करेगी, जब तक कि अधिनियम की धारा ५६ के प्रावधानों के अनुसार, हस्तांतरण का एक उचित साधन विधिवत मुहर लगी, दिनांकित और द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न हो। अंतरणकर्ता की ओर से और अंतरिती की ओर से और नाम, पता और व्यवसाय निर्दिष्ट करते हुए, और हस्तांतरण की तिथि से 60 दिनों के भीतर कंपनी को शेयरों या डिबेंचर या किसी अन्य सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ, या यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र अस्तित्व में नहीं है, तो कंपनी को दिया गया है। शेयरों या डिबेंचर या अन्य सुरक्षा के आवंटन का पत्र; बशर्ते कि जहां, अंतरिती द्वारा कंपनी को किए गए लिखित आवेदन पर और हस्तांतरण के एक साधन के लिए आवश्यक स्टाम्प लगे होने पर, निदेशक मंडल की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि हस्तांतरण के साधन पर या उसकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्तांतरणकर्ता और द्वारा या उसकी ओर से खो गया है, तो कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण को पंजीकृत कर सकती

है जैसा कि बोर्ड उचित समझे; बशर्ते आगे कि इस अनुच्छेद में कुछ भी कंपनी की किसी भी व्यक्ति को शेयरधारक, डिबेंचर धारक या सुरक्षा धारक के रूप में पंजीकृत करने की किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसे कंपनी के किसी भी शेयर, डिबेंचर या अन्य सुरक्षा का अधिकार कानून के संचालन द्वारा प्रेषित किया गया है।

(२) इस खंड में कुछ भी डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में जारी किए गए शेयरों पर लागू नहीं होगा।

स्थानांतरण का रूप

५५. किसी भी शेयर के हस्तांतरण का साधन लिखित रूप में निर्धारित प्रपत्र में और अधिनियम की धारा 56 के अनुसार होगा।

कानूनी प्रतिनिधि द्वारा स्थानांतरण

५६. कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किए गए मृत सदस्य के कंपनी में शेयरों या अन्य हितों का हस्तांतरण, हालांकि कानूनी प्रतिनिधि स्वयं सदस्य नहीं है, के रूप में मान्य होगा जैसे कि वह निष्पादन के समय सदस्य रहा हो हस्तांतरण का साधन।

रजिस्टर के लिए आवेदन

५७ (१) किसी शेयर के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन या तो अंतरणकर्ता या अंतरिती द्वारा किया जा सकता है।

(२) जहां आवेदन अकेले हस्तांतरणकर्ता द्वारा किया जाता है और

आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों से संबंधित होता है, तब तक हस्तांतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी अंतरिती को आवेदन की सूचना नहीं देती है और अंतरिती दो सप्ताह के भीतर हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं देता है। नोटिस मिलने से.

(३) उप-अनुच्छेद (२) के प्रयोजन के लिए अंतरिती को नोटिस तब तक सम्यक् रूप से दिया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि वह हस्तांतरण के साधन में दिए गए पते पर अंतरिती को प्रीपेड पंजीकृत डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है, और यदि ऐसा है तो भेजा गया माना जाएगा कि वह उस समय विधिवत सुपुर्द किया गया था जिस समय इसे डाक के सामान्य क्रम में दिया गया होता।

स्थानांतरण से इंकार करने की कंपनी की शक्ति

५८. इन उपहारों में कुछ भी कंपनी की किसी भी शेयर के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अंतरणकर्ता तब तक उत्तरदायी है जब तक अंतरिती ने रजिस्टर में प्रवेश नहीं किया है

५९. हस्तांतरणकर्ता को किसी भी शेयर का धारक तब तक माना जाएगा जब तक कि उसके संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं किया जाता है।

निदेशक स्थानांतरण को पंजीकृत करने से मना कर सकते हैं

६०. अधिनियम की धारा ५८ के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और अन्य लागू कानूनों के अधीन, निदेशक अपने पूर्ण और अनियंत्रित विवेक पर कंपनी के किसी सदस्य या डिबेंचर के किसी शेयर या हित के अधिकार के कानून के संचालन द्वारा किसी भी हस्तांतरण या ट्रांसमिशन को पंजीकृत करने या स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, और कोई भी देने के लिए बाध्य नहीं होंगे इस तरह के इनकार का कारण और विशेष रूप से उन शेयरों के संबंध में गिरावट आ सकती है जिन पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है या जबकि हस्तांतरित किए जाने के लिए वांछित शेयरों के संबंध में कोई पैसा है या उनमें से कोई भी अवैतनिक है और इस तरह से इनकार इस तथ्य से प्रभावित नहीं होगा कि प्रस्तावित अंतरिती पहले से ही सदस्य है।

ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को मना करने की सूचना

६१. यदि कंपनी किसी भी शेयर के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करती है, तो वह उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस दिन कंपनी को हस्तांतरण का साधन दिया गया था, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता को इनकार करने के लिए कारण बताते हुए इनकार की सूचना भेज देगा।

नाबालिग, आदि को कोई स्थानांतरण नहीं।

६२. अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति को कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निदेशक अपने पूर्ण विवेक पर, एक नाबालिग को कंपनी का सदस्य बनने के लिए ऐसी शर्तों पर मंजूरी दे सकते हैं जो निदेशक निर्धारित कर सकते हैं।

स्थानांतरण लिखतों की अभिरक्षा

६३. हस्तांतरण के साधन पंजीकरण के बाद कंपनी द्वारा बनाए रखा जाएगा और उसकी हिरासत में रहेगा। हस्तांतरण के सभी दस्तावेज, जिन्हें निदेशक पंजीकृत करने से मना कर सकते हैं, मांग पर जमा करने वाले व्यक्तियों को वापस कर दिए जाएंगे। निदेशक कंपनी के पास पड़े सभी हस्तांतरण विलेखों को ऐसी अवधि के बाद नष्ट करवा सकते हैं जो वे निर्धारित कर सकते हैं।

स्थानांतरण पुस्तकों को बंद करना

६४. निदेशकों के पास अधिनियम की धारा 91 के अनुसार विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस देने पर, ऐसी अवधि के लिए सदस्यों, डिबेंचर-धारकों या कंपनी की किसी अन्य सुरक्षा के रजिस्टर को बंद करने की शक्ति होगी या समय की अवधि प्रत्येक वर्ष में पूरे पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी, लेकिन एक बार में तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, जैसा कि वे उचित समझे।

खंड ३७ से ४५, ५४ और ५५ में कुछ भी हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा प्रभावित सुरक्षा के हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा, दोनों को एक डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी मालिकों के रूप में दर्ज किया गया है।

मृतक धारक के शेयरों का शीर्षक

६५. मृत सदस्य के निष्पादक या प्रशासक या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारक या मृत सदस्य के शेयरों के संबंध में अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व, जहां वह एकमात्र या एकमात्र जीवित धारक था, वह एकमात्र व्यक्ति होगा जिसे कंपनी किसी भी शीर्षक के रूप में पहचान सकती है। ऐसे सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयर और कंपनी ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी जब तक कि उन्होंने पहले प्रोबेट या प्रशासन के पत्र प्राप्त नहीं कर लिए हों या ऐसा धारक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व का धारक हो, जैसा कि मामले में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से हो सकता है भारत। बशर्ते कि, किसी भी मामले में जहां निदेशक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, , निदेशक प्रोबेट या प्रशासन के पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को ऐसी शर्तों पर प्रस्तुत करने से दूर कर सकते हैं जो क्षतिपूर्ति या अन्यथा के रूप में निदेशक अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक समझते हैं और किसी भी व्यक्ति का नाम पंजीकृत कर सकते हैं जो हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह से हकदार होने का दावा करता है। एक सदस्य के रूप में एक मृत सदस्य के नाम पर।

हस्तांतरण के अलावा अन्य शेयरों के हकदार व्यक्तियों का पंजीकरण

(ट्रांसमिशन क्लॉज)

६६. कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालियेपन या दिवालियेपन के परिणामस्वरूप या इन उपहारों के अनुसार स्थानांतरण के अलावा किसी भी वैध माध्यम से किसी भी शेयर का हकदार होता है, निदेशकों की सहमति से (जो वे करेंगे देने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं) इस तरह के सबूत पेश करने पर कि वह उस चरित्र को बनाए रखता है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद या उसके शीर्षक के तहत कार्य करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि निदेशकों को ऐसे शेयरों के संबंध में एक सदस्य के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी या हो सकता है, इन उपहारों में हस्तांतरण के रूप में नियमों के अधीन ऐसे शेयरों को कुछ अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह लेख इन उपहारों में "ट्रांसमिशन क्लॉज" के रूप में जाना जाता है।

ट्रांसमिशन रजिस्टर करने से इंकार

६७. निदेशकों के पास किसी भी शेयर के प्रसारण के हकदार व्यक्ति को पंजीकृत करने से इनकार करने का समान अधिकार होगा जैसे कि वह पंजीकरण के लिए एक साधारण हस्तांतरण में नामित अंतरिती था।

बोर्ड को प्रसारण के साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है

६८. एक शेयर के प्रत्येक प्रसारण को इस तरह से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निदेशकों की आवश्यकता हो सकती है और कंपनी किसी भी ट्रांसमिशन को पंजीकृत करने से इंकार कर सकती है जब तक कि इसे

सत्यापित नहीं किया जाता है या जब तक कंपनी को ऐसे पंजीकरण के संबंध में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है जो निदेशक अपने विवेक पर पर्याप्त विचार करेंगे, बशर्ते कि कंपनी या निदेशकों पर किसी भी क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं होगा

ट्रांसफर या ट्रांसमिशन पर शुल्क

६९. कंपनी में किसी शेयर के हस्तांतरण या हस्तांतरण के संबंध में कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों का नामांकन और प्रसारण

७०. अनुच्छेदों के खंड ५६,५७,५८,५९ और ६० में किसी बात के होते हुए भी लेकिनअधिनियम की धारा ७२ के प्रावधानों के अधीन,

अ. निदेशक शेयरों या डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के धारक से निर्धारित फॉर्म में नामांकन स्वीकार कर सकते हैं और यदि शेयर या डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां संयुक्त रूप से आयोजित की जाती हैं, तो सभी संयुक्त धारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने पर नामांकन अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

बी. यदि धारकों द्वारा प्रस्तावित नामिती नाबालिग है, तो नामांकन तभी स्वीकार किया जा सकता है जब धारक निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो नियुक्त नाबालिग की मृत्यु के मामले में शेयरों या डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के लिए हकदार हो जाएगा। नामिती,

मूल धारक की मृत्यु पर धारक बनने के बाद।

सी. निदेशक, नामिती के निर्देशों के अनुसार शेयरों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करेंगे या शेयरों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों को उस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत करेंगे जो अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के आधार पर नामित व्यक्ति बन जाता है। इस तरह के सबूत की आवश्यकता हो सकती है।

डी. शेयरों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों पर देय लाभों का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, जो एक नामित व्यक्ति होने के नाते, अधिनियम की धारा ७२ के प्रावधानों के अनुसार धारक की मृत्यु के कारण शेयरों/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों का हकदार बनता है।

कंपनी हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने वाले नोटिस की अवहेलना के लिए उत्तरदायी नहीं है

७१. कंपनी उनके पंजीकरण या उनके प्रत्यक्ष कानूनी स्वामी द्वारा किए गए या किए जाने वाले शेयरों के किसी भी हस्तांतरण को प्रभावी करने के परिणामस्वरूप (जैसा कि सदस्यों के रजिस्टर में दिखाया गया है या दिखाया गया है) व्यक्तियों के पूर्वाग्रह के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी भी न्यायसंगत अधिकार का होना या दावा करना, इस बात के होते हुए भी कि कंपनी को इस तरह के न्यायसंगत अधिकार, शीर्षक या ब्याज या ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने वाला नोटिस मिला हो, और इस तरह के नोटिस में प्रवेश किया हो,

के बावजूद या समान शेयरों में शीर्षक या रुचि हो सकती है, कंपनी और कंपनी की किसी भी पुस्तक में संदर्भित, किसी भी नोटिस को मानने या उपस्थित होने या प्रभाव देने के लिए बाध्य या आवश्यक नहीं होगा जो उन्हें किसी भी समान शीर्षक या हित के लिए दिया जा सकता है या किसी भी तरह से इनकार करने या उपेक्षा करने के लिए दायित्व के अधीन हो सकता है। ऐसा करने के लिए, भले ही इसे कंपनी की किसी पुस्तक में दर्ज किया गया हो या संदर्भित किया गया हो, लेकिन कंपनी ऐसे किसी भी नोटिस पर विचार करने और उस पर ध्यान देने और उस पर प्रभाव डालने के लिए स्वतंत्र होगी, यदि निदेशक ऐसा उचित समझें।

शेयरों के शीर्षक के रूप में उत्तरजीवी संयुक्त धारकों की मान्यता

७२. किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में नामित किसी एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में, उत्तरजीवी या उत्तरजीवी केवल कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनके पास कोई शीर्षक या हित है ऐसा शेयर, लेकिन इसमें निहित कुछ भी मृतक संयुक्त धारक की संपत्ति को उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों पर किसी भी देयता से मुक्त करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

शेयरों के एक या अधिक संयुक्त धारकों का दिवाला या परिसमापन

७३. किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में नामित एक या अधिक व्यक्तियों के दिवालियेपन या परिसमापन के मामले में,

शेष धारक या धारक केवल कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनके पास इस तरह के किसी भी शीर्षक, या हित में है शेयर, लेकिन इसमें निहित कुछ भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित शेयरों पर किसी भी देयता से दिवाला या परिसमापन के तहत व्यक्ति की संपत्ति को मुक्त करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

डिबेंचर और किसी भी अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

७४. इन लेखों के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, कंपनी के डिबेंचर और किसी भी अन्य प्रतिभूतियों के अधिकार के कानून द्वारा आवंटन और हस्तांतरण या हस्तांतरण पर लागू होंगे।

सेबी विनियमों के अधीन शेयरों का निर्गम, अधिग्रहण और धारण करना

७४ए (१). इन लेखों में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, एसईसीसी विनियमों के प्रावधान, या इसमें कोई भी संशोधन, जैसा भी मामला हो, कंपनी के इक्विटी शेयरों के निर्गम अधिग्रहण और धारण के संबंध में लागू होगा।

(२) जैसा कि पूर्वगामी लेखों में प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 60 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक सदस्य शेयर को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा:

बशर्ते कि बोर्ड स्थानांतरण से इंकार कर सकता है यदि उसकी राय में:

(ए) स्थानांतरण एसईसीसी विनियमों के प्रावधानों के अलावा प्रासंगिक

सेबी परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार या किसी भी संशोधन के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अन्यथा किया जा रहा है; या

(ब) स्थानांतरण, यदि किया जाता है, तो कंपनी के हित में नहीं होगा

शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन

शेयरों का स्टॉक में रूपांतरण और पुन: रूपांतरण।

७५. निदेशक, सामान्य बैठक में कंपनी के एक प्रस्ताव की मंजूरी के साथ, किसी भी भुगतान किए गए शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के भुगतान किए गए शेयरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जब किसी शेयर को स्टॉक में परिवर्तित किया गया है, तो ऐसे स्टॉक के कई धारक अब से अपने संबंधित हितों को या इस तरह के ब्याज के किसी भी हिस्से को उसी तरीके से और उसी नियमों के अधीन स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसके अधीन पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर हैं। कंपनी की पूंजी को स्थानान्तरित किया जा सकता है या इसके निकट के रूप में परिस्थितियों को स्वीकार किया जा सकता है।

शेयरधारकों का अधिकार।

७६. स्टॉक उसके धारकों को क्रमशः कंपनी की बैठक में लाभ और मतदान में भागीदारी के संबंध में समान विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करेगा और अन्य उद्देश्यों के लिए समान वर्ग की कंपनी की पूंजी में समान राशि के

शेयरों द्वारा प्रदान किया जाएगा। शेयरों के रूप में जिससे ऐसे स्टॉक को परिवर्तित किया गया है लेकिन ऐसा कोई विशेषाधिकार या लाभ नहीं है (कंपनी के मुनाफे में भागीदारी या कंपनी के समापन पर संपत्ति में भागीदारी को छोड़कर) किसी भी स्टॉक द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो शेयरों में मौजूद होने पर, ऐसे विशेषाधिकार या लाभ प्रदान नहीं करेगा।

पूंजी की वृद्धि, कमी और परिवर्तन

पूंजी की वृद्धि

७७. कंपनी, समय-समय पर, सामान्य बैठक में, अपनी शेयर पूंजी में इतनी राशि के नए शेयरों के निर्माण से बढ़ा सकती है, जैसा कि वह समीचीन समझती है और नए शेयर, अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, ऐसे पर बनाए जाएंगे नियम और शर्तें और ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो सामान्य बैठक के रूप में संलग्न हैं, इसे निर्देशित करेंगे और यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, जैसा कि निदेशक निर्धारित करेंगे।

पूंजी का आगे का मुद्दा

७८. नए शेयर (उपरोक्त पूंजी की वृद्धि के परिणामस्वरूप), अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या निदेशकों द्वारा उनकी शक्तियों के अनुसार जारी या निपटारा किया जा सकता है ये उपहार और निम्नलिखित प्रावधान: -

1. (i) ऐसे नए शेयरों की पेशकश उन व्यक्तियों को की जाएगी जो प्रस्ताव की तिथि पर कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हैं, जैसा कि उस तिथि पर उन शेयरों पर पूंजी प्रदत्त पूंजी के अनुपात में है;

(ii) पूर्वोक्त प्रस्ताव प्रस्ताव की तारीख से कम से कम पंद्रह दिनों और 30 दिनों से अधिक नहीं होने वाले शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस द्वारा किया जाएगा, जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसे माना जाएगा अस्वीकार कर दिया गया है;

(iv) पूर्वोक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद या उस व्यक्ति से पूर्व सूचना प्राप्त होने पर जिसे इस तरह की सूचना दी गई है कि व्यक्ति प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से इनकार करता है, निदेशक मंडल उन्हें इस तरह से निपटा सकता है जो शेयरधारकों और कंपनी के लिए हानिकारक नहीं है;

उप-अनुच्छेद (1) के खंड (iii) में कुछ भी नहीं समझा जाएगा:

(i) उस समय का विस्तार करने के लिए जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए; या

(ii) किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर दूसरी बार त्याग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना कि जिस व्यक्ति के पक्ष में पहले त्याग किया गया था, उसने त्याग में शामिल शेयरों को लेने से इनकार कर दिया है।

आम बैठक के नियंत्रण में शेयर

७९. अनुच्छेद 8 के तहत निदेशकों को प्रदान की गई शक्तियों के अलावा और बिना किसी कमी के, कंपनी आम बैठक में अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार विशेष संकल्प के माध्यम से निर्धारित कर सकती है कि कोई भी शेयर (चाहे इसका हिस्सा हो) कंपनी की मूल पूंजी या नहीं) ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी (चाहे कंपनी के डिबेंचर के सदस्य या धारक हों या नहीं) या कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प की योजना के तहत, इस तरह के अनुपात में और ऐसे नियमों और शर्तों पर और या तो नकद के लिए या नकद के अलावा अन्य विचार के लिए, यदि ऐसे शेयरों की कीमत पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है, इस तरह के अधीन शर्तें जो अधिनियम के तहत निर्धारित की जा सकती हैं।

मूल पूंजी के समान

८०. जब तक अन्यथा जारी करने की शर्तों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है या इनके द्वारा कोई पूंजी प्रस्तुत की जाती है नए शेयरों के निर्माण से जुटाई गई राशि को मूल पूंजी का हिस्सा माना जाएगा और कॉल के भुगतान के संदर्भ में यहां निहित प्रावधानों के अधीन हो और किश्तों, स्थानांतरण और प्रसारण, जब्ती, ग्रहणाधिकार, समर्पण, मतदान और अन्यथा।

पूंजी की कमी

८१ अधिनियम की धारा ६६ के प्रावधान के अधीन, कंपनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा कानून द्वारा अधिकृत किसी भी तरह से अपनी शेयर पूंजी को कम कर सकती है और विशेष रूप से किसी भी प्रदत्त शेयर पूंजी का भुगतान कर सकती है जो कि आवश्यकता से अधिक है कंपनी के आधार पर कि इसे फिर से या अन्यथा बुलाया जा सकता है और यदि और जहां तक आवश्यक हो, अपनी शेयर पूंजी और उसके हिस्से की राशि को तदनुसार कम करके अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदल सकता है।

डिवीजन और सब-डिवीजन

८२ कंपनी आम बैठक में प्रस्ताव पारित करके अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की शर्तों को बदल सकती है ताकि: -

(1) इसके सभी या किसी भी शेयर को उसके मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित करें।

(2) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा मूल रूप से तय की गई छोटी राशि के शेयरों या उनमें से किसी को भी उप-विभाजित करें, फिर भी उस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन। इनके अधीन वह संकल्प प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा किसी भी शेयर को उप-विभाजित किया जाता है, निर्धारित कर सकता है कि इस तरह के उप-विभाजन के परिणामस्वरूप शेयरों के धारकों के बीच ऐसे शेयरों में से एक या अधिक शेयरों को अन्य या किसी अन्य ऐसे शेयरों पर कोई वरीयता या लाभ या

अन्यथा दिया जा सकता है।

(3) शेयरों को रद्द करें, जो ऐसी आम बैठक की तारीख में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है या लेने के लिए सहमत नहीं है और शेयरों की राशि को कम कर देता है, इसलिए रद्द कर दिया गया है।

शेयरों का बायबैक

इन लेखों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, लेकिन धारा 68 से 70 के प्रावधानों और अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी अन्य लागू प्रावधान के अधीन, कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद कर सकती है।

८३ (1) (i) कंपनी प्रत्येक वर्ष, किसी भी अन्य बैठक के अलावा, अंतराल पर और नीचे निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अपनी "वार्षिक आम बैठक" के रूप में एक सामान्य बैठक आयोजित करेगी:

(ii) कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नौ महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। पहली वार्षिक आम बैठक के बाद कंपनी की वार्षिक आम बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर कंपनी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(iii) एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगले की तारीख के बीच पंद्रह महीने से अधिक नहीं व्यतीत होंगे;

(2) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक व्यावसायिक घंटों के दौरान आयोजित की जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी। किसी भी दिन जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या शहर, कस्बे या गाँव के भीतर किसी अन्य स्थान पर जहाँ पंजीकृत कार्यालय स्थित है। वार्षिक आम बैठक भारत में किसी भी स्थान पर

आयोजित की जा सकती है यदि सभी सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अग्रिम रूप से सहमति दी जाती है:

असाधारण आम बैठक

८४ वार्षिक आम बैठक के अलावा अन्य सभी आम बैठकें असाधारण आम बैठक कहलाती हैं।

असाधारण आम बैठक का आह्वान

८५. (1) बोर्ड, जब भी वे ठीक समझे, और कंपनी के सदस्यों की इतनी संख्या की मांग पर, जैसा कि इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है, कंपनी की एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए आगे बढ़ सकता है और मामले में ऐसी मांग निम्नलिखित प्रावधान लागू होगी;

(2) अध्यपेक्षा उन मामलों को निर्धारित करेगी जिन पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई जानी है और मांगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजे जाएंगे;

(3) किसी भी मामले के संबंध में एक बैठक की मांग करने के हकदार सदस्यों की संख्या उनकी इतनी संख्या होगी जो मांग की प्राप्ति की तारीख को धारित है, जो कि कंपनी की चुकता पूंजी के दसवें हिस्से से कम नहीं है। उस तारीख को कंपनी उस मामले के संबंध में मतदान का अधिकार रखती है;

(4) यदि बोर्ड किसी भी मामले के संबंध में एक वैध मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उन मामलों पर विचार के लिए एक बैठक बुलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो पैंतालीस दिन बाद में नहीं मांग की प्राप्ति के दिनों से, मांग की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बैठक बुलाई जा सकती है और मांगकर्ता द्वारा स्वयं आयोजित की जा सकती है;

(5) मांगकर्ताओं द्वारा उप-अनुच्छेद (4) के तहत बुलाई गई बैठक उसी तरीके से बुलाई और आयोजित की जाएगी, जिसमें बोर्ड द्वारा बैठक बुलाई और आयोजित की जाती है,

(6) मांगकर्ताओं द्वारा बैठक बुलाने में किए गए किसी भी उचित खर्च की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा मांगकर्ताओं को की जाएगी और इस प्रकार भुगतान की गई राशि को अधिनियम की धारा 197 के तहत किसी भी शुल्क या अन्य पारिश्रमिक से काट लिया जाएगा जो ऐसे निदेशकों को देय होगा जो बैठक बुलाने में चूक कर रहे थे।

बैठक की सूचना

८६.(1) कम से कम स्पष्ट इक्कीस दिन की लिखित सूचना देकर कंपनी की आम बैठक बुलाई जा सकती है; या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस तरह से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है;

(2) एक सामान्य बैठक उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट की तुलना में कम नोटिस देने के बाद बुलाई जा सकती है यदि सहमति लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दी जाती है;

(i) वार्षिक आम बैठक के मामले में, नब्बे प्रतिशत से कम नहीं। उसमें मतदान करने के हकदार सदस्यों की संख्या; तथा

(ii) किसी अन्य आम बैठक के मामले में, कंपनी के सदस्यों द्वारा, वोट देने के हकदार सदस्यों की संख्या में बहुमत और जो नब्बे प्रतिशत से कम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के ऐसे हिस्से का जो बैठक में वोट देने का अधिकार देता है।

नोटिस की सामग्री और तामील करने का तरीका और वे व्यक्ति जिन पर इसे तामील किया जाना है

८७. (1) कंपनी की बैठक की प्रत्येक सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, दिन और समय निर्दिष्ट होगा, और उसमें किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण होगा;

(2) कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचना दी जाएगी

(i) कंपनी के प्रत्येक सदस्य, किसी मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि या दिवालिया सदस्य के समनुदेशिती को

(ii) कंपनी के लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक; तथा

(iii) कंपनी के प्रत्येक निदेशक

अधिनियम की धारा 101 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से।

बैठक में कार्यवाही को अमान्य न करने की सूचना देने में चूक।

८८. किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा नोटिस देने के लिए आकस्मिक चूक या नोटिस प्राप्त न करने के लिए जो किसी भी बैठक के लिए इस तरह के नोटिस का हकदार है, जिसे यह दिया जाना चाहिए, बैठक में कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा।

सामान्य बैठकों में व्यापार

८९. (1) वार्षिक आम बैठक के मामले में, बैठक में किए जाने वाले सभी कार्यों से संबंधित व्यवसाय के अपवाद के साथ, विशेष समझा जाएगा:

(i) निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों पर विचार;

(ii) किसी लाभांश की घोषणा;

(iii) सेवानिवृत्त होने वालों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति; तथा

(iv) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक तय करना और

(2) किसी अन्य सामान्य बैठक के मामले में सभी कार्यों को विशेष माना जाएगा।

(3) जहां बैठक में लेन-देन की जाने वाली व्यवसाय की कोई भी वस्तु पूर्वोक्त के रूप में विशेष मानी जाती है, वहाँ बैठक की सूचना के साथ एक विशेष व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु के संबंध में निम्नलिखित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करते हुए एक बयान दिया जाएगा। आम बैठक, अर्थात्:

(ए) प्रत्येक मद के संबंध में चिंता या ब्याज की प्रकृति, वित्तीय या अन्यथा, यदि कोई हो:

(i) प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो;

(ii) हर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक; तथा

(III) उपखंड (i) और (i) में उल्लिखित व्यक्तियों के रिश्तेदार

(ब) कोई अन्य जानकारी और तथ्य जो सदस्यों को व्यापार की वस्तुओं के अर्थ, दायरे और प्रभावों को समझने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

बशर्ते कि जहां कंपनी की बैठक में किए जाने वाले पूर्वोक्त विशेष व्यवसाय की कोई वस्तु किसी अन्य कंपनी से संबंधित हो या प्रभावित करती हो, वहां प्रत्येक प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, यदि कोई हो, की उस अन्य कंपनी में शेयरधारिता हित की सीमा, और यदि ऐसी शेयरधारिता की सीमा उस अन्य कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से कम नहीं है, तो पहले

उल्लेखित कंपनी के प्रत्येक अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को भी विवरण में दर्शाया जाएगा।

(4) जहां व्यापार के किसी मद में बैठक द्वारा किसी दस्तावेज़ के अनुमोदन के अनुसार शामिल है, समय और स्थान जहां दस्तावेज़ का निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्वोक्त विवरण में निर्दिष्ट किया जाएगा

साधारण और विशेष संकल्प

९१. (1) एक संकल्प एक सामान्य संकल्प होगा जब एक आम बैठक में, जिसकी अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना विधिवत दी गई हो, वोट चाहे हाथ दिखाने पर, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी मतदान पर, जैसा भी मामला हो सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में (अध्यक्ष के निर्णायक मत, यदि कोई हो, यदि कोई हो) हो सकता है, जो ऐसा करने का हकदार है, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा वोट से अधिक हो सकता है, यदि कोई हो, यदि कोई हो, तो इस प्रकार के हकदार और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाला गया।

(2) एक संकल्प एक विशेष संकल्प होगा जब: -

(i) संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने का इरादा सामान्य बैठक बुलाने या संकल्प के सदस्यों को दी गई अन्य सूचना में विधिवत निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) अधिनियम के तहत आवश्यक नोटिस सामान्य बैठक की विधिवत दी गई

है, और

(iii) प्रस्ताव के पक्ष में वोट, चाहे हाथ दिखाने पर, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या मतदान पर, जैसा भी मामला हो, सदस्यों द्वारा, जो ऐसा करने के लिए पात्र होने के कारण व्यक्तिगत रूप से, या प्रॉक्सी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा, इस प्रकार के हकदार और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाले गए मतों, यदि कोई हो, की संख्या के तीन गुना से कम नहीं हैं।

संकल्प के लिए विशेष सूचना की आवश्यकता है

९१. जहां अधिनियम या इन उपहारों में निहित किसी प्रावधान द्वारा, किसी संकल्प के लिए विशेष नोटिस की आवश्यकता होती है, संकल्प को स्थानांतरित करने के इरादे की सूचना कंपनी को कम से कम एक प्रतिशत सदस्यों द्वारा कंपनी को दी जाएगी। कुल वोटिंग पावर या होल्डिंग शेयर जिस पर ऐसी कुल राशि पांच लाख रुपये से कम नहीं है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, भुगतान कर दिया गया है और कंपनी अपने सदस्यों को अधिनियम की धारा 115 में प्रदान किए गए तरीके से संकल्प की सूचना देगी।

सामान्य बैठक में कार्यवाही

सामान्य बैठक में कोरम

९२. अधिनियम की धारा 103 सामान्य बैठक में कोरम से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करेगी जिसके अधीन पांच सदस्य व्यक्तिगत रूप से सामान्य

बैठक के लिए एक कोरम होंगे और किसी भी सामान्य बैठक में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि आवश्यक कोरम प्रारंभ में उपस्थित न हो। व्यापार का।

कुर्सी खाली रहने पर अध्यक्ष के चुनाव तक सीमित कारोबार

९३. किसी भी सामान्य बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के अलावा किसी अन्य कार्य पर चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि कुर्सी खाली न हो।

आम सभा के अध्यक्ष

९४. निदेशकों के अध्यक्ष को प्रत्येक आम बैठक में कुर्सी लेने का अधिकार होगा। यदि कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि किसी बैठक में वह ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, या कार्य करने के इच्छुक नहीं है, तो उपस्थित निदेशक स्वयं में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुन सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से उनके ऐसा करने से, उपस्थित सदस्य हाथ दिखाकर किसी एक निदेशक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे और यदि कोई भी निदेशक अध्यक्ष को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से एक को बैठक का अध्यक्ष चुनने के लिए हाथ दिखाकर चुनाव करेंगे।

कोरम के उपस्थित न होने पर कार्यवाही करना

९५.(ए) यदि सामान्य बैठक के आयोजन के लिए नियत समय के आधे घंटे

के भीतर, कोरम मौजूद नहीं है, तो शेयरधारकों की मांग पर शुरू होने वाली बैठक रद्द कर दी जाएगी और किसी भी अन्य मामले में, स्थगित कर दी जाएगी अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर या ऐसी अन्य तारीख को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि निदेशक निर्धारित करें। यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य एक कोरम होंगे और उस कार्य को कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी।

बशर्ते कि स्थगित बैठक या खंड (ए) के तहत बैठक के दिन, समय या स्थान में बदलाव के मामले में, कंपनी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके कम से कम तीन दिन का नोटिस देगी। एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में) जो उस स्थान पर प्रचलन में है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

स्थगित बैठक

९६. सभापति उस बैठक की सहमति से जिसमें गणपूर्ति मौजूद है, समय-समय पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी बैठक को स्थगित कर देता है, लेकिन उस व्यवसाय के अलावा किसी भी स्थगित बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जो कि हो सकता है जिस बैठक से स्थगन हुआ। अधिनियम की धारा 103 के प्रावधानों के अधीन, स्थगित बैठक का कोई नोटिस तब तक देना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि बैठक को तीस दिनों से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जाता है।

जहां की स्थगित बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है-

(ए) एक कंपनी; या

(बी) किसी कंपनी में शेयरों के किसी भी वर्ग के धारक; या

(सी) एक कंपनी के निदेशक मंडल,

संकल्प, सभी उद्देश्यों के लिए, उस तिथि को पारित माना जाएगा जिस पर यह वास्तव में पारित किया गया था, और किसी भी पहले की तारीख को पारित नहीं माना जाएगा।

जहां मतदान की मांग नहीं की गई वहां प्रस्ताव पारित होने का प्रमाण क्या होना चाहिए?

९७. किसी भी आम बैठक में बैठक के मतदान के लिए एक प्रस्ताव को हाथ दिखाने पर तय किया जाएगा जब तक कि मतदान (हाथ दिखाने के परिणाम की घोषणा से पहले या उसके बाद) की मांग नहीं की जाती है, और जब तक कि मतदान नहीं होता है इतनी मांग की जाती है, अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा कि एक संकल्प है, हाथ दिखाने पर, सर्वसम्मति से या किसी विशेष बहुमत से ले जाया गया या ले जाया गया, या खो गया और कंपनी की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक में उस प्रभाव की प्रविष्टि संकल्प के पारित होने के तथ्य का निर्णायक सबूत होगा या अन्यथा।

मतदान की मांग

९८. (1) हाथ दिखाकर किसी भी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा

से पहले या उसके बाद, बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव पर मतदान करने का आदेश दिया जा सकता है, और लेने का आदेश दिया जाएगा। उसके द्वारा इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित सदस्यों द्वारा की गई मांग पर, जहां अनुमति दी गई हो, और कुल मतदान शक्ति का दसवां हिस्सा न हो या शेयरों को धारण किया हो, जिस पर पांच लाख रुपये से कम की कुल राशि या निर्धारित की जा सकने वाली उच्च राशि का भुगतान किया गया हो।

(2) मतदान की मांग को मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(3) बैठक को स्थगित करने या बैठक के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मांगे गए मतदान को तुरंत लिया जाएगा।

(4) बैठक के स्थगन या अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा किसी भी प्रश्न पर मांग की गई मतदान ऐसे समय पर लिया जाएगा, जब बैठक के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार मांग की गई थी, उस समय से अड़तालीस घंटे बाद में नहीं।

(5) जहां मतदान किया जाना है, बैठक के अध्यक्ष, मतदान प्रक्रिया और मतदान पर दिए गए मतों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, जो वह आवश्यक समझे। अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है

(6) बैठक के अध्यक्ष को उस तरीके को विनियमित करने की शक्ति होगी

जिसमें मतदान किया जाएगा।

(7) मतदान के परिणाम को उस संकल्प पर बैठक का निर्णय माना जाएगा जिस पर मतदान किया गया था।

सदस्यों के अपने मतों का अलग-अलग उपयोग करने का अधिकार

९९. कंपनी की एक बैठक में किए गए एक सर्वेक्षण पर, एक से अधिक वोट के हकदार सदस्य, या उसके प्रॉक्सी या अन्य व्यक्ति जो उसे वोट देने के हकदार हैं, जैसा भी मामला हो, की जरूरत नहीं है, अगर वह वोट देता है, तो अपने सभी वोटों का उपयोग करें या उसी तरह से सभी वोटों का इस्तेमाल करता है जो वह उपयोग करता है।

मतों की समानता के मामले में प्रस्ताव कैसे तय होता है

१००. मतों की समानता के मामले में, चाहे हाथ दिखाने पर या मतदान पर, बैठक का अध्यक्ष, जिसमें हाथ का प्रदर्शन होता है या जिस पर मतदान की मांग की जाती है, इसके अलावा एक निर्णायक वोट का हकदार होगा। अपने स्वयं के वोट या वोट के लिए जिसके लिए वह एक सदस्य के रूप में हकदार हो सकता है।

डाक मतपत्र

१०१. (1) कंपनी (ए) व्यवसाय की ऐसी वस्तुओं के संबंध में, जो केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से लेन-देन की घोषणा कर सकती है; और (बी) सामान्य व्यवसाय और किसी भी व्यवसाय

के अलावा व्यवसाय की किसी भी वस्तु के संबंध में, जिसके संबंध में निदेशकों या लेखा परीक्षकों को किसी भी बैठक में सुनवाई का अधिकार है, डाक मतपत्र के माध्यम से लेन-देन, अधिनियम की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है, एक आम बैठक में इस तरह के कारोबार का लेन-देन करने के बजाय।

(2) यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा किसी प्रस्ताव को सहमति दी जाती है, तो इसे उस संबंध में बुलाई गई आम बैठक में विधिवत पारित माना जाएगा।

दूसरे कारोबार के लेन-देन पर रोक नहीं लगाने के लिए मतदान की मांग

१०२ मतदान की मांग, जिस प्रश्न पर मतदान की मांग की गई है, उसके अलावा किसी अन्य व्यवसाय के लेन-देन के लिए एक बैठक जारी रखने से नहीं रोकेगी।

सामान्य बैठकों के कार्यवृत्त

१०३. (1) कंपनी सभी सामान्य बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त और डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प को अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से तैयार और हस्ताक्षरित करेगी और ऐसी प्रत्येक बैठक के समापन के तीस दिनों के भीतर रखेगी। , या उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में पोस्टल बैलेट द्वारा संकल्प पारित करना, जिनके पृष्ठ क्रमागत रूप से गिने गए हों।

(2) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में उसकी कार्यवाही का एक निष्पक्ष और सही सारांश होगा।

(3) किसी भी बैठक में की गई सभी नियुक्तियों को बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा।

(4) ऐसा कोई भी कार्यवृत्त, यदि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना, जिस पर कार्यवाही हुई या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत निदेशक द्वारा उस अध्यक्ष की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, कार्यवाही के साक्ष्य।

(5) कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया जाएगा, कोई भी मामला, जो बैठक के अध्यक्ष की राय में: -

(ए) किसी भी व्यक्ति के लिए यथोचित रूप से मानहानिकारक माना जा सकता है या किया जा सकता है; या

(बी) कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक या सारहीन है; या

(सी) कंपनी के हितों के लिए हानिकारक है।

(6) अध्यक्ष ऊपर निर्दिष्ट आधारों पर मिनटों में किसी भी मामले को शामिल करने या शामिल न करने के संबंध में पूर्ण विवेक का प्रयोग करेंगे।

(7) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार रखे गए कार्यवृत्त उसमें दर्ज कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे।

(8) कंपनी कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्दिष्ट सामान्य बैठक के संबंध में सचिवीय मानकों का पालन करेगी, और इस तरह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित।

मिनट पुस्तकों का निरीक्षण

१०४. कंपनी की आम बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त या डाक मतपत्र के माध्यम से पारित प्रस्ताव वाली पुस्तकों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए बिना किसी शुल्क के सुबह 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच खुला रहेगा। सभी कार्य दिवसों पर।

मिनटों की प्रतियां

१०५. कोई भी सदस्य सात कार्य दिवसों के भीतर कंपनी से अनुरोध करने के बाद सात कार्य दिवसों के भीतर किसी भी मिनट की एक प्रति या ऊपर निर्दिष्ट डाक मतपत्र के माध्यम से पारित संकल्प को ऐसे शुल्क पर प्रस्तुत करने का हकदार होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम।

मताधिकार

सदस्यों का मतदान

१०६. (1) हाथ दिखाने पर कंपनी के प्रत्येक सदस्य को वोट देने का

अधिकार है और व्यक्तिगत रूप से या वकील या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होने पर एक वोट होगा।

(2) एक मतदान पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य जो एक व्यक्ति होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा या एक निगम होने के नाते एक प्रतिनिधि या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता है, को भुगतान के अपने हिस्से के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा- कंपनी की पूंजी ऊपर।

निगमों द्वारा मतदान

१०७ (1) कोई निगम/संस्था/कंपनी/संगठन/सोसाइटी, या कोई अन्य निगमित निकाय, यदि वह सदस्य है, तो अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल या अन्य शासी निकाय के संकल्प द्वारा, ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करना जो वह अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त समझे।

(2) ऐसे निगम के एक निदेशक या कंपनी सचिव द्वारा या उसके शासी निकाय के किसी सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस तरह के संकल्प की एक प्रति की बैठक में उत्पादन और उसके द्वारा संकल्प की एक सच्ची प्रति के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। बैठक को कंपनी द्वारा उनकी नियुक्ति की वैधता के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(3) पूर्वोक्त के रूप में एक संकल्प द्वारा अधिकृत व्यक्ति कॉर्पोरेट निकाय की ओर से उन्हीं अधिकारों और शक्तियों (प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के अधिकार सहित) का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वह निकाय प्रयोग कर सकता है यदि यह एक व्यक्तिगत सदस्य थे।

१०८. कोई भी सदस्य या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य सदस्य के लिए किसी शेयरधारक वर्ग की आम बैठक में या तो हाथ दिखाने पर या अपने नाम पर पंजीकृत किसी शेयर के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जिस पर कोई कॉल या अन्य उसके द्वारा वर्तमान में देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है या जिसके संबंध में कंपनी ने धारणाधिकार के किसी अधिकार का प्रयोग किया है।

१०९. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी शेयर को स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसमिशन क्लॉज के तहत हकदार है, उसके संबंध में आम बैठक में मतदान कर सकता है जैसे कि वह ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक था, बशर्ते कि बैठक आयोजित करने या बैठक को स्थगित करने के समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले। वह मामला हो सकता है जिस पर वह वोट देने का प्रस्ताव करता है, वह ऐसे शेयरों को स्थानांतरित करने के अपने अधिकार के निदेशकों को संतुष्ट करेगा जब तक कि निदेशकों

ने इस तरह की बैठक में उसके संबंध में वोट देने के अपने अधिकार को पहले स्वीकार नहीं किया हो।

प्रॉक्सी की योग्यता

११०. (1) कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी की बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह सदस्य हो या न हो) को अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा, लेकिन एक प्रॉक्सी तो नियुक्त व्यक्ति को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) कंपनी की बैठक बुलाने वाले प्रत्येक नोटिस में, उचित प्रमुखता के साथ एक बयान दिखाई देगा कि एक सदस्य जो भाग लेने और वोट देने का हकदार है, खुद के बजाय एक प्रॉक्सी को उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी की आवश्यकता नहीं है सदस्य।

(3) बशर्ते यह भी कि प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या की ओर से कार्य करेगा जो पचास से अधिक नहीं होंगे और जितनी संख्या में शेयर निर्धारित किए जा सकते हैं।

वोट प्रॉक्सी या अटॉर्नी द्वारा दिए जा सकते हैं

१११. वोट व्यक्तिगत रूप से या अटॉर्नी द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा या निगम/संस्था/कंपनी/संगठन/सोसाइटी के मामले में भी पूर्वोक्त रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए जा सकते हैं।

प्रॉक्सी के साधन का निष्पादन

११२. प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला लिखत लिखित रूप में होगा और उस पर नियुक्तिकर्ता या उसके वकील द्वारा लिखित रूप में विधिवत रूप से अधिकृत किया जाएगा या यदि ऐसा नियुक्त करने वाला कोई कॉर्पोरेट निकाय है, तो उसकी मुहर के नीचे होना चाहिए या किसी अधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत वकील द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्रॉक्सी की नियुक्ति और निरीक्षण के दस्तावेज जमा करना

११३. कोई भी व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा और वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी नियुक्ति का साधन और मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकरण, यदि कोई हो, जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकरण की नोटरीकृत प्रति नहीं है। बैठक के आयोजन के समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिस पर प्रॉक्सी के साधन में नामित व्यक्ति वोट देने का प्रस्ताव करता है और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रॉक्सी की

नियुक्ति के साधन को वैध नहीं माना जाएगा। इस बात के होते हुए भी कि कंपनी के रिकॉर्ड में पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य पंजीकृत किया गया है, कंपनी बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले सदस्य या उस वकील को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा उसे मूल शक्ति का उत्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है। अटॉर्नी या प्राधिकरण और जब तक इसे कंपनी के पास बैठक के लिए निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले जमा नहीं किया जाता है, तब तक अटॉर्नी ऐसी बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि निदेशक अपने पूर्ण विवेक से इस तरह के गैर-उत्पादन और जमा को माफ नहीं करते। कंपनी की बैठक में वोट देने का हकदार प्रत्येक सदस्य या उसमें पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव को बैठक के शुरू होने के लिए निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा। कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज किया गया बशर्ते कि कंपनी को निरीक्षण करने के इरादे से कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।

साधन की कस्टडी

११४. यदि नियुक्ति का कोई साधन कंपनी की बैठकों में एक प्रॉक्सी या मतदान के विकल्प की नियुक्ति के उद्देश्य तक सीमित है,

तो यह स्थायी रूप से या ऐसे समय के लिए रहेगा जैसा कि निदेशक निर्धारित कर सकता है, कंपनी की हिरासत में, और यदि अन्य को गले लगा रहा है वस्तुओं, उसकी एक प्रति, मूल के साथ जांच की गई, कंपनी की हिरासत में रहने के लिए कंपनी को वितरित की जाएगी।

प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला साधन

११५. प्रॉक्सी का प्रत्येक लिखत चाहे किसी निर्दिष्ट बैठक के लिए हो या अन्यथा लिखित में होगा और यदि नियुक्तिकर्ता अपनी मुहर के अधीन एक निगमित निकाय है या किसी अधिकारी या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी वकील के हाथ में है और जैसा कि परिस्थितियों को स्वीकार किया जाएगा, अधिनियम की धारा 105 में निर्दिष्ट प्रपत्र में।

सदस्यों की मृत्यु आदि के होते हुए भी प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की वैधता।

११६. प्रॉक्सी के एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया गया वोट, प्रिंसिपल की पिछली मृत्यु या प्रॉक्सी या किसी भी मुख्तारनामा के निरसन के बावजूद मान्य होगा, जिसके तहत ऐसे प्रॉक्सी पर हस्ताक्षर किए गए थे या शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में जिसमें से वोट दिया जाता है बशर्ते कि बैठक से पहले कार्यालय में मृत्यु, निरसन या स्थानांतरण की कोई लिखित सूचना प्राप्त

नहीं हुई हो।

वोटों पर आपत्ति का समय

११७. बैठक या मतदान के अलावा किसी भी वोट की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी, और प्रत्येक वोट, चाहे व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो या प्रॉक्सी द्वारा ऐसी बैठक या मतदान में अस्वीकृत नहीं किया गया हो, के लिए वैध माना जाएगा सभी उद्देश्य।

किसी भी बैठक के अध्यक्ष किसी मत की वैधता के न्यायाधीश होने के लिए

११८. किसी भी बैठक का अध्यक्ष ऐसी बैठक में दिए गए प्रत्येक वोट की वैधता तय करने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगा। मतदान के समय उपस्थित सभापति ऐसे मतदान में दिए गए प्रत्येक मत की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश होगा।

निदेशकों

बोर्ड का संविधान

११९. (i) निदेशक मंडल में न्यूनतम तीन निदेशक और अधिकतम पंद्रह निदेशक होंगे। बशर्ते कि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद पंद्रह से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है। कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक निदेशक होगा जो पिछले

कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बयासी दिनों की कुल अवधि के लिए भारत में रहा हो।

कंपनी के निदेशक मंडल में उतनी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे जितने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक हो सकते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का तरीका, उनकी योग्यता और भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी।

ii. कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे:

(ए) शेयरधारक निदेशक;

(बी) जनहित निदेशक; तथा,

(सी) प्रबंध निदेशक।

iii. सेबी के पूर्व अनुमोदन के अधीन, अध्यक्ष का चयन बोर्ड द्वारा जनहित निदेशक में से किया जाएगा

iv. जनहित निदेशकों की संख्या कंपनी के बोर्ड में शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी

v. प्रबंध निदेशक को शेयरधारक निदेशकों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

vi. कंपनी के किसी भी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक के अलावा बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे निदेशक को

शेयरधारक निदेशक माना जाएगा

vii. कोई भी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य या उनके सहयोगी और एजेंट, भले ही स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन जिसके वे सदस्य हों, को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

xii. किसी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का कंपनी के बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

xiii. जनहित निदेशकों को सेबी द्वारा नामित किया जाएगा। जनहित निदेशक का कार्यकाल SECC विनियमों में SEBI द्वारा निर्धारित अनुसार होगा।

इन लेखों में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, कंपनी निदेशकों की नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट एसईसीसी विनियमों या सेबी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शर्तों का पालन करेगी।

११९ ए. +^ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) समय-समय पर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित व्यक्तियों के नामों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल में नामित व्यक्तियों को "सार्वजनिक" के रूप में नामित कर सकता है। हित निदेशक" जो आवश्यक व्यावसायिक क्षमता वाले सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार **'स्वतंत्र निदेशक'** होंगे और

प्रतिभूति बाजारों से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव। हालांकि, सेबी को ऐसे व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार होगा, जिनके नाम कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित नहीं किए गए हैं।

जनहित निदेशक तब तक बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नए जनहित निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती

जैसा कि ऊपर बताया गया है, जनहित निदेशकों के समान अधिकार/विशेषाधिकार होंगे और वे कंपनी के किसी अन्य निदेशक के समान दायित्वों के अधीन होंगे। ऐसे मनोनीत जनहित निदेशकों के इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या अन्यथा के कारण होने वाली किसी भी रिक्ति को समान रूप से नामित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।

निदेशक

१२० इसके बाद नामित व्यक्ति कंपनी के पहले निदेशक हैं: -

(i) श्री नीलेश धीरजलाल शाह

(ii) श्री सौरभ मनोज नानावटी

(iii) श्री अथमनाथन बालासुब्रमण्यम

(iv) श्री विनय मुरलीधर टोनसे

इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों के अधीन, पहले निदेशक कंपनी की पहली

वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेंगे, बशर्ते कि यदि पहले वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से पहले पूर्वोक्त प्रथम निदेशकों में से किसी के कार्यालय में रिक्ति उत्पन्न होती है कंपनी की बैठक तब निदेशकों द्वारा अपनी बैठक में ऐसी रिक्ति दायर की जा सकती है।

१२१ (1) कंपनी का प्रत्येक निदेशक एसईसीसी विनियमों के तहत निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।

(2) कंपनी के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी SECC विनियमों के तहत निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

(3) कंपनी का प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी SECC विनियमों में वर्णित एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति होगा।

प्रबंध संचालक

१२२ (1) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण और सेवा की समाप्ति सेबी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी।

(2) कंपनी, सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, प्रबंध निदेशक के चयन/नियुक्ति से जुड़ी योग्यता, नियुक्ति के तरीके, नियुक्ति के नियम और शर्तों और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का निर्धारण करेगी।

(3) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि किसी व्यक्ति को कंपनी द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अधिकतम दो कार्यकाल के लिए, प्रत्येक पांच वर्ष से अधिक नहीं, अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष के अधीन।

(4) कंपनी के प्रबंध निदेशक नहीं होंगे-

(ए) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सहयोगी के शेयरधारक के शेयरधारक या सहयोगी हो, जैसा भी मामला हो;

(बी) एक व्यापारिक सदस्य या एक समाशोधन सदस्य या उसका सहयोगी और एजेंट या एक व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य या एक सहयोगी के शेयरधारक और एक व्यापारिक सदस्य या एक समाशोधन सदस्य के एजेंट हो; या

(सी) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जुड़ी किसी अन्य इकाई में समवर्ती रूप से कोई पद धारण करें:

बशर्ते कि कंपनी के प्रबंध निदेशक को बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कंपनी की सहायक कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नहीं।

(5) प्रबंध निदेशक सेबी या नियमों द्वारा जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों और अन्य आदेशों को प्रभावी करने में विफलता के लिए सेबी के पूर्व अनुमोदन से कंपनी के बोर्ड द्वारा सेवाओं को हटाने या समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, एसोसिएशन के लेख, कंपनी के उप-नियम और नियम।

वैकल्पिक निदेशक

१२३ (1) अधिनियम की धारा 161 और इसके अनुच्छेद 127 के प्रावधानों के अधीन, निदेशक मंडल एक निदेशक के लिए कार्य करने के लिए एक वैकल्पिक निदेशक नियुक्त कर सकता है (इसके बाद इस लेख में "मूल निदेशक" कहा जाता है) उनके सुझाव पर या अन्यथा , भारत से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए उनकी अनुपस्थिति के दौरान।

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को एक स्वतंत्र निदेशक के लिए वैकल्पिक निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य न हो।

(2) उप-अनुच्छेद (1) के तहत नियुक्त एक वैकल्पिक निदेशक, मूल निदेशक, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, की अनुमति से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा और यदि और जब मूल निदेशक भारत लौटता है तो वह पद खाली कर

देगा। .

(3) यदि मूल निदेशक की पदावधि उसके भारत लौटने से पहले निर्धारित की जाती है, जैसा कि पूर्वोक्त है, तो सेवानिवृत्त निदेशकों की स्वचालित पुनर्नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान, जो किसी अन्य नियुक्ति में चूक करता है, मूल निदेशक पर लागू होगा, न कि वैकल्पिक निदेशक पर।

आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अपर निदेशक एवं निदेशक नियुक्त

१२४. निदेशकों के पास किसी भी समय किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में या तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए या एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी, लेकिन निदेशकों की कुल संख्या लेखों द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक या अंतिम तिथि जिस पर वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए, जो भी पहले हो, तक ही पद धारण करेगा और फिर पुनर्नियुक्ति का हकदार होगा। . आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया कोई भी निदेशक केवल उस तिथि तक पद धारण करेगा जब तक वह निदेशक, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, पद पर होता यदि वह रिक्त नहीं होता।

निदेशक का पारिश्रमिक

१२५ (1) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशकों को देय पारिश्रमिक, अधिनियम के लागू प्रावधानों और इन उपहारों और उसके और कंपनी के बीच किसी भी अनुबंध के अधीन, कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा समय-समय पर आम सभा, और निश्चित वेतन और/या अनुलाभ या कंपनी के मुनाफे पर कमीशन या इस तरह के मुनाफे में भागीदारी, या किसी भी या उन सभी तरीकों से हो सकता है जो अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं हैं।

(2) निदेशक मंडल के पास बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जो भी बोर्ड द्वारा तय किया गया हो, एक निदेशक को देय फीस तय करने की शक्ति होगी, जो कि ऐसी उच्चतम सीमा के अधीन होगी जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कार्यवाही करना।

नामित निदेशक

१२६. जब भी कंपनी किसी स्थानीय प्राधिकरण, बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (बाद में 'नियुक्ति' के रूप में संदर्भित) के साथ किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसरण में कोई समझौता या अनुबंध करती है, या किसी भी सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी समझौते या

नियुक्त किया गया, निदेशकों के पास, अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अधीन, इस बात से सहमत होने की शक्ति होगी कि ऐसे नियुक्तिकर्ता के पास इस तरह के समझौते या अनुबंध की शर्तों द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, लिखित रूप में नोटिस द्वारा नामितियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। कंपनी को संबोधित, एक या एक से अधिक निदेशकों को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जैसा कि संबंधित समझौते, अनुबंध या डिबेंचर ट्रस्ट डीड में उल्लेख किया जा सकता है और निदेशक या निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। निदेशक इस बात से भी सहमत हो सकता है कि किसी भी ऐसे निदेशक या निदेशक को समय-समय पर नियुक्त करने या नामित करने के हकदार नियुक्तिकर्ता द्वारा हटाया जा सकता है और नियुक्तिकर्ता अपने स्थान पर किसी अन्य या अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और किसी भी रिक्ति को भी भर सकता है जो इस प्रकार हो सकता है किसी भी निदेशक या निदेशक के किसी भी कारण से पद पर बने रहने के परिणामस्वरूप। इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त या नामित निदेशक कंपनी के अन्य निदेशकों द्वारा प्रयोग और प्राप्त सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग और आनंद लेने के हकदार होंगे, जिसमें ऐसे निदेशकों को पारिश्रमिक और यात्रा व्यय का भुगतान शामिल है, जैसा कि सहमति हो सकती है नियुक्तिकर्ता के साथ कंपनी।

निदेशकों को अतिरिक्त मुआवजा मिल सकता है।

१२७. अधिनियम के अनुसरण में उन्हें देय पारिश्रमिक के अलावा, निदेशकों को उनके द्वारा किए गए सभी यात्रा, होटल और अन्य खर्चों का उचित भुगतान किया जा सकता है-

(ए) निदेशक मंडल या कंपनी की किसी समिति या आम बैठकों की बैठकों में भाग लेने और लौटने में; या

(बी) कंपनी के कारोबार के संबंध में।

निदेशक को अतिरिक्त सेवा आदि के लिए विशेष पारिश्रमिक

१२८. यदि कोई निदेशक इच्छुक होने पर, कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए बाहर जाने या रहने या अन्यथा रहने के लिए अतिरिक्त सेवा या विशेष प्रयास करने के लिए कहा जाता है, तो कंपनी ऐसे निदेशक को एक निश्चित राशि या अन्यथा पारिश्रमिक दे सकती है जैसा कि निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और ऐसा पारिश्रमिक ऊपर दिए गए पारिश्रमिक के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन के रूप में हो सकता है।

निदेशक किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकते हैं

१२९. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी निदेशक अपने शरीर में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकते हैं; लेकिन यदि संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम हो जाती है, तो निदेशक, आपात स्थिति के अलावा या रिक्तियों को भरने या कंपनी की आम

बैठक बुलाने के उद्देश्य से और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे।

निदेशकों की अयोग्यता

१३०). (1) कोई व्यक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि -

(ए) वह विकृत दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है;

(बी) वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है;

(डी)उसे किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, चाहे वह नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो, और उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई हो और सजा की समाप्ति की तारीख से पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हुई हो:बशर्ते कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो वह किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

(ई) एक अदालत या अधिकरण द्वारा एक निदेशक के रूप में

नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य घोषित करने वाला आदेश पारित किया गया है और आदेश लागू है;

(च) उसने अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से कंपनी के किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, और कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं;

(छ) वह पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय अधिनियम की धारा 188 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; या

(ज) उसने अधिनियम की धारा 152 की उप-धारा (3) का अनुपालन नहीं किया है।

(i) उसने धारा 165 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है

बशर्ते कि उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) के खंड (डी), (ई) और (जी) में निर्दिष्ट अयोग्यताएं लागू रहेंगी, भले ही अपील या याचिका दोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश के खिलाफ दायर की गई हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का निदेशक है या रहा है, जो-

(ए) तीन वित्तीय वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या

(बी) इसके द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि को चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या देय तिथि पर किसी भी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या रिडीम करने में विफलता एक वर्ष या उससे अधिक के लिए जारी रहेगी, उस कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त होने या किसी अन्य कंपनी में नियुक्त होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पात्र हो, जिस पर उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है।

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो उपरोक्त उप-अनुच्छेदों (ए) या (बी) के चूक में है, उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अयोग्यता नहीं होगी।

निदेशक कार्यालय खाली कर रहे हैं

१३१ (1) निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि-

(ए) वह अधिनियम की धारा 164 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता को वहन करता है; बशर्ते कि जहां वह धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत अयोग्यता प्राप्त करता है, निदेशक का कार्यालय सभी कंपनियों में खाली हो जाएगा, अन्य यह कि कंपनी जो उस उप-धारा के तहत चूक में है।

(बी) वह बोर्ड की अनुपस्थिति की छुट्टी के साथ या बिना बारह महीने की अवधि के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है;

(सी) वह अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने से संबंधित अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है;

(डी) वह अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में अपनी रुचि का खुलासा करने में विफल रहता है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है;

(ई) वह किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश से अयोग्य हो जाता है;

(च) उसे किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, चाहे वह नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो और उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारावास की सजा दी गई हो:

बशर्ते कि निदेशक द्वारा खंड (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट आदेशों के मामले में कार्यालय खाली नहीं किया जाएगा -

(i) दोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए;

(ii) जहां ऐसी अपील या याचिका के निपटारे की तारीख से सात दिनों

की समाप्ति तक सजा या आदेश के परिणामस्वरूप सजा या आदेश के खिलाफ पूर्वोक्त तीस दिनों के भीतर अपील या याचिका दायर की जाती है; या

(iii) जहां सात दिनों के भीतर आदेश या सजा के खिलाफ कोई और अपील या याचिका दायर की जाती है, जब तक कि ऐसी अगली अपील या याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।

(छ) उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हटा दिया जाता है;

(एच) वह, होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या अन्य रोजगार को धारण करने के आधार पर एक निदेशक नियुक्त किया गया है, उस कंपनी में ऐसे कार्यालय या अन्य रोजगार को बंद कर देता है

निदेशकों का इस्तीफा

१३२. अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, एक निदेशक किसी भी समय कंपनी को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और उसके बाद उसका कार्यालय खाली हो जाएगा।

निदेशक द्वारा ब्याज का प्रकटीकरण

(1) प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप

में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी पहले से किए गए खुलासे में कोई बदलाव होता है, तो उसके बाद आयोजित पहली बोर्ड बैठक में इस तरह के परिवर्तन, किसी भी कंपनी या कंपनियों या निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों, या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी चिंता या रुचि का खुलासा करें जिसमें शेयरधारिता शामिल होगी,

(1) प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी पहले से किए गए खुलासे में कोई बदलाव होता है, तो उसके बाद आयोजित पहली बोर्ड बैठक में इस तरह के परिवर्तन, किसी भी कंपनी या कंपनियों या निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों में अपनी चिंता या रुचि का खुलासा करें, या व्यक्तियों का अन्य संघ जिसमें शेयरधारिता शामिल होगी, इस तरह से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

(2) कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुबंध या व्यवस्था, या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में शामिल या प्रवेश करने के लिए संबंधित या रुचि रखता है,

(i) एक कॉरपोरेट निकाय के साथ जिसमें ऐसा निदेशक या ऐसा निदेशक किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर दो प्रतिशत से अधिक रखता है। उस निगमित निकाय की शेयरधारिता, या उस निगमित निकाय का प्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है; या

(ii) एक फर्म या अन्य इकाई के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक भागीदार, मालिक या सदस्य हो, जैसा भी मामला हो,

(1) निदेशक मंडल की बैठक में अपनी चिंता या रुचि की प्रकृति का खुलासा करेगा जिसमें अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की गई है और ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा।

(2) बशर्ते कि जहां कोई निदेशक जो इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के समय इतना चिंतित या दिलचस्पी नहीं रखता है, अगर वह अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद चिंतित या रुचि रखता है, तो वह अपनी चिंता या रुचि को तुरंत प्रकट करेगा जब वह बन जाता है संबंधित या इच्छुक या बोर्ड की पहली बैठक में जब वह इतना चिंतित या इच्छुक हो जाता है।

(3) कंपनी द्वारा उप-अनुच्छेद (2) के तहत प्रकटीकरण के बिना या अनुबंध या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से संबंधित या रुचि रखने वाले निदेशक की भागीदारी के साथ किया गया अनुबंध या व्यवस्था शून्य हो जाएगी कंपनी का विकल्प।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी कंपनी के निदेशक को कंपनी के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में कोई चिंता या रुचि रखने से प्रतिबंधित करने वाले कानून के किसी भी नियम के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं लिया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद में कुछ भी दो कंपनियों के बीच या एक या एक से अधिक कंपनियों और एक या एक से अधिक कॉरपोरेट निकायों के बीच किए गए किसी भी अनुबंध या व्यवस्था पर लागू नहीं होगा, जहां एक कंपनी के निदेशकों में से कोई भी या दो या अधिक उनमें से एक साथ अन्य कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट में चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं रखता है या रखता है।

निदेशक कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों के निदेशक हो सकते हैं

१३४) एक निदेशक कंपनी द्वारा पदोन्नत किसी भी कंपनी का निदेशक हो सकता है, या बन सकता है, या जिसमें वह एक विक्रेता, सदस्य या अन्यथा के रूप में दिलचस्पी ले सकता है, और अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, ऐसा कोई निदेशक नहीं है निदेशक या ऐसी कंपनी के किसी सदस्य के रूप में प्राप्त किसी भी लाभ के लिए जवाबदेह होगा।

निदेशकों का रोटेशन

निदेशकों का सालाना होगा सेवानिवृत्त, कैसे तय हुआ

१३५) पहली वार्षिक आम बैठक के अलावा कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, ऐसे एक-तिहाई निदेशक जो कुछ समय के लिए रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं या, यदि उनकी संख्या तीन या तीन का गुणक नहीं है , तो एक तिहाई के निकटतम संख्या कार्यालय से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस लेख के प्रयोजनों के लिए, "निदेशकों की कुल संख्या" में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे, चाहे वे किसी कंपनी के बोर्ड में अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त हों।

किन निदेशकों को सेवानिवृत्त होना है

१३६) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और जो अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से कार्यालय में सबसे लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के बीच के रूप में, जो उसी दिन निदेशक बन गए हैं, जो हैं सेवानिवृत्त होंगे (जब तक कि वे अन्यथा आपस में सहमत न हों), लॉट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

सेवानिवृत्त निदेशक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे

१३७) एक सेवानिवृत्त निदेशक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

कंपनी रिक्तियों को भरने के लिए

१३८) कंपनी, वार्षिक आम बैठक में, जिसमें एक निदेशक पूर्वोक्त रूप से सेवानिवृत्त होता है, उस रिक्ति में सेवानिवृत्त निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके रिक्ति को भर सकता है।

उत्तराधिकारियों की नियुक्ति तक सेवानिवृत्त निदेशक पद पर बने रहेंगे

१३९) यदि सेवानिवृत्त निदेशक का स्थान पिछले अनुच्छेद में प्रदान नहीं किया गया है और बैठक में स्पष्ट रूप से रिक्ति को नहीं भरने का संकल्प लिया गया है, तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय तक के लिए स्थगित हो जाएगी। और स्थान, या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले अगले दिन तक, जो अवकाश नहीं है, यदि स्थगित बैठक में भी सेवानिवृत्त निदेशक का स्थान नहीं भरा जाता है और उस बैठक में भी स्पष्ट रूप से रिक्ति को न भरने का संकल्प लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त निदेशक को फिर से नियुक्त किया गया समझा जाएगा। स्थगित बैठक में, जब तक कि -

1) उस बैठक में या पिछली बैठक में ऐसे निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव बैठक में रखा गया है और खो गया है;

2) सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक ने कंपनी या उसके निदेशक मंडल को लिखित में एक नोटिस भेजकर इस तरह फिर से नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है;

3) वह नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है;

4) अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के आधार पर उनकी नियुक्ति

या पुनर्नियुक्ति के लिए एक संकल्प, चाहे वह विशेष हो या सामान्य, अपेक्षित है; या

5) अधिनियम की धारा 162 मामले पर लागू होती है।

निदेशकों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से मतदान होगा

१४०) (1) कंपनी की एक आम बैठक में, एक प्रस्ताव द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि एक प्रस्ताव जो ऐसा किया जाएगा पहले सहमति नहीं दी गई है बिना किसी मत के बैठक के द्वारा इसके विरुद्ध मतदान किया जाना।

(2) इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उल्लंघन में पेश किया गया प्रस्ताव शून्य होगा चाहे इसे पेश किए जाने पर आपत्ति ली गई हो या नहीं।

(3) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति को मंजूरी देने या निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने के प्रस्ताव को उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा।

निदेशक पद के लिए सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के अधिकार

१४१) (1) कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 152 के अनुसार

सेवानिवृत्त निदेशक नहीं है, किसी भी सामान्य बैठक में निदेशक के पद के लिए चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह या कोई अन्य सदस्य जो उसे निदेशक के रूप में प्रस्तावित करना चाहता है, बैठक से कम से कम चौदह दिन पहले, एक लाख की जमा राशि के साथ, जैसा भी मामला हो, पंजीकृत कार्यालय में एक लिखित नोटिस छोड़ दिया गया है जिसमें निदेशक के कार्यालय के लिए उनकी उम्मीदवारी या ऐसे सदस्य के इरादे को उस कार्यालय के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने का इरादा है। रुपये या ऐसी अन्य उच्च राशि जो अधिनियम के तहत निर्धारित की जा सकती है, जो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे सदस्य को, जैसा भी मामला हो, वापस किया जाएगा। यदि व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में सफल हो जाता है या पच्चीस प्रतिशत से अधिक प्राप्त करता है। हाथ दिखाने पर या ऐसे संकल्प पर मतदान पर डाले गए कुल वैध मतों की संख्या।

(2) कंपनी उप-अनुच्छेद (1) के तहत निदेशक के कार्यालय के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के बारे में अपने सदस्य को इस तरह से सूचित करेगी जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

निदेशकों को हटाना

१४२) (1) कंपनी, अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, एक सामान्य संकल्प द्वारा एक निदेशक को उसकी कार्यालय की

अवधि की समाप्ति से पहले सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद हटा सकती है;

(2) इस अनुच्छेद के तहत एक निदेशक को हटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए विशेष नोटिस की आवश्यकता होगी, या बैठक में हटाए गए निदेशक के बजाय किसी को नियुक्त करने के लिए, जिस पर उसे हटाया गया है;

(3) इस अनुच्छेद के तहत एक निदेशक को हटाने के लिए एक प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी तुरंत उसकी एक प्रति संबंधित निदेशक को भेजेगी, और निदेशक (चाहे वह कंपनी का सदस्य हो या नहीं) का हकदार होगा बैठक में संकल्प पर सुना जा सकता है;

(4) जहां इस अनुच्छेद के तहत एक निदेशक को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और संबंधित निदेशक कंपनी को लिखित रूप में प्रतिनिधित्व करता है (और कंपनी के सदस्यों को अधिसूचना के लिए अनुरोध करता है, कंपनी, यदि समय की अनुमति देती है) ऐसा करने के लिए -

(i) के सदस्यों को दिए गए संकल्प के नोटिस में, किए गए अभ्यावेदन के तथ्य का उल्लेख करें; तथा

(ii) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को अभ्यावेदन की एक प्रति भेजें, जिसे बैठक की सूचना भेजी गई है (चाहे कंपनी द्वारा अभ्यावेदन

प्राप्त होने से पहले या बाद में) और यदि अभ्यावेदन की एक प्रति पूर्वोक्त के रूप में नहीं भेजी जाती है क्योंकि वे भी प्राप्त हुई थीं देर से या कंपनी की चूक के कारण, निदेशक (मौखिक रूप से सुनने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) की आवश्यकता हो सकती है कि बैठक में अभ्यावेदन पढ़ा जाएगा। बशर्ते कि अभ्यावेदन की प्रतियों को बैठक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आवेदन पर कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, जो पीड़ित होने का दावा करता है, ट्रिब्यूनल संतुष्ट है कि इस उप-अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है मानहानिकारक मामले के लिए अनावश्यक प्रचार सुनिश्चित करना।

(5) इस अनुच्छेद के तहत एक निदेशक को हटाने से पैदा हुई रिक्ति, यदि वह कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 130 के अनुसार नियुक्त किया गया था, तो उसके स्थान पर किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति से भरा जा सकता है, जिस बैठक में उसे हटाया जाता है, बशर्ते इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) के तहत इच्छित नियुक्ति की विशेष सूचना दी गई हो। इस प्रकार नियुक्त निदेशक उस तिथि तक पद धारण करेगा जब तक कि उसके पूर्ववर्ती ने पद धारण नहीं किया होता, यदि उसे पूर्वोक्त रूप से हटाया नहीं गया होता।

(6) यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (5) के तहत रिक्ति नहीं

भरी जाती है, तो इसे प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है, जहां तक वे अनुच्छेद 130 के लागू हो सकते हैं और सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे ; बशर्ते कि जिस निदेशक को पद से हटाया गया था, उसे निदेशक मंडल द्वारा निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा।

निदेशकों की कार्यवाही

निदेशकों की बैठक

१४३) निदेशक कार्य स्थगन के संचालन के लिए एक साथ मिल सकते हैं और अन्यथा अपनी बैठकों और कार्यवाही को विनियमित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं; बशर्ते, हालांकि, निदेशक मंडल की चार बैठकें हर साल इस तरह से आयोजित की जाएंगी कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

१४४) बोर्ड की बैठक में निदेशकों की भागीदारी या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के माध्यम से हो सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जो निदेशकों की भागीदारी को रिकॉर्ड करने और पहचानने और रिकॉर्डिंग और भंडारण करने में सक्षम हैं। तारीख और समय के साथ ऐसी बैठकों की कार्यवाही

बैठक कब बुलाई जाए

१४५) अध्यक्ष किसी भी समय, या निदेशक या कंपनी सचिव या कंपनी के ऐसे अन्य अधिकारी जो निदेशकों द्वारा अधिकृत हो, निदेशक के अनुरोध पर निदेशकों की बैठक बुला सकते हैं।

बैठकों की सूचना

१४६) कंपनी के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की कम से कम सात दिनों की सूचना कंपनी के साथ पंजीकृत प्रत्येक निदेशक को उसके पते पर लिखित रूप में दी जाएगी और ऐसी सूचना हाथ से या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी। .

बशर्ते कि समय-समय पर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत तत्काल व्यवसाय करने के लिए बोर्ड की बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है।

संचालक मंडल का अध्यक्ष

१४७) सेबी के अनुमोदन के अधीन, अध्यक्ष का चुनाव निदेशकों द्वारा जनहित निदेशकों में से किया जाएगा। निदेशक उस अवधि का निर्धारण कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें पद धारण करना है। निदेशकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता ऐसे अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि वे उपस्थित हों, लेकिन यदि निदेशकों की किसी बैठक में, निदेशक उस अवधि का निर्धारण कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें पद धारण करना है। निदेशकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता ऐसे अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि वे उपस्थित हों, लेकिन यदि, निदेशकों की किसी बैठक में, अध्यक्ष उसे

आयोजित करने के लिए नियत समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में निदेशकों में से एक का चयन करेंगे। निदेशक तब बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित होते हैं।

बोर्ड की बैठक में सवाल, कैसे तय हुआ

१४८) (i) बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव पर मतदान तभी मान्य होगा जब ऐसे संकल्प पर अपना वोट डालने वाले जनहित निदेशकों की संख्या ऐसे संकल्प पर अपना वोट डालने वाले शेयरधारक निदेशकों की संख्या से अधिक हो।

ii. कंपनी के बोर्ड की बैठकों में निर्णायक मत बोर्ड के अध्यक्ष के पास होगा।

कोरम और शक्तियों का प्रयोग करने की इसकी क्षमता

१४९ (i) कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम इसकी कुल संख्या का एक-तिहाई होगा (उस एक-तिहाई में निहित किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो निदेशकों, जो भी अधिक हो और की भागीदारी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से निदेशकों को भी कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा; ; बशर्ते कि जहां किसी भी बैठक में, इच्छुक निदेशकों की संख्या कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक हो या उसके बराबर हो, शेष निदेशकों की संख्या, यानी रुचि नहीं रखने वाले निदेशकों की संख्या, उपस्थित बैठक दो से कम न हो, ऐसी मद के लिए गणपूर्ति होगी।

(ii) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम का गठन करने के लिए सार्वजनिक हित निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए:-

(i) "कुल संख्या" का अर्थ कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या है, जैसा कि अधिनियम के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, उसमें से निदेशकों की संख्या, यदि कोई हो, जिनकी जगह उस समय खाली हो सकती है, घटाकर;

(ii) "इच्छुक निदेशक" का अर्थ उस निदेशक से है जिसकी उपस्थिति अनुच्छेद 132 या अधिनियम में किसी अन्य प्रावधान के कारण बोर्ड की बैठक में कोरम बनाने के उद्देश्य से नहीं हो सकती है, चर्चा के समय या किसी पर वोट मामला।

प्रक्रिया जहां गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है

१५०)(1) यदि गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो जब तक प्रत्येक बैठक में उपस्थित निदेशक अन्यथा निर्णय नहीं लेते हैं, बैठक स्वतः ही अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर स्थगित हो जाएगी। , या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले अगले दिन तक, जो उसी समय और स्थान पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं है।

(2) अनुच्छेद 149 के प्रावधानों को केवल इस तथ्य के कारण उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि बोर्ड की एक बैठक जो उस अनुच्छेद की शर्तों के अनुपालन में बुलाई गई थी, कोरम के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकती थी।

निदेशक समिति नियुक्त कर सकते हैं

१५१) निदेशक, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अपनी किसी भी शक्ति को अपने शरीर के ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी समिति को सौंप सकते हैं, और वे समय-समय पर ऐसे प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार गठित कोई भी समिति इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों द्वारा उस पर समय-समय पर लगाए जाने वाले किसी भी विनियम के अनुरूप होगी।

समिति की बैठकें कैसे शासित हों

१५२) पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अनुसार नियुक्त किसी भी समिति की बैठकें और कार्यवाहियां, निदेशकों की बैठकों और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए इन उपहारों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, जहां तक वे उन पर लागू होती हैं और किसी भी विनियमों द्वारा अधिक्रमित नहीं होती हैं। पिछले पूर्ववर्ती अनुच्छेद के तहत निदेशकों द्वारा किया गया।

नियुक्ति के दोष के बावजूद बोर्ड या समितियों के अधिनियम मान्य

१५३) बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में या निदेशक के रूप में

कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे, भले ही बाद में यह पता चले कि ऐसे किसी एक या अधिक निदेशकों की नियुक्ति या कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति जैसा ऊपर बताया गया है, दोष या अयोग्यता के कारण अमान्य था या अधिनियम या इन उपहारों में निहित किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी एक निदेशक द्वारा किए गए कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिए नहीं माना जाएगा, जब उनकी नियुक्ति कंपनी को अमान्य या समाप्त कर दी गई हो।

परिपत्र संकल्प

१५४) लागू कानूनों के अधीन, किसी भी प्रस्ताव को बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा परिचालित रूप से पारित नहीं माना जाएगा, जब तक कि संकल्प को सभी आवश्यक कागजात, यदि कोई हो, के साथ मसौदे में परिचालित नहीं किया गया है। निदेशकों, या समिति के सभी सदस्यों को, सभी निदेशकों, या समिति के सभी सदस्यों को, भारत में कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर हाथ से वितरण या डाक द्वारा या कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और अधिकांश निदेशकों या सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो संकल्प पर मतदान करने का अधिकार है।

बशर्ते कि, जहां कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई की आवश्यकता है कि किसी बैठक में संचलन के तहत किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना चाहिए, अध्यक्ष एक बैठक में निर्णय लेने

के लिए संकल्प रखेगा। तख्ता।

उप-अनुच्छेद (1) के तहत एक संकल्प को बोर्ड या उसकी समिति की बाद की बैठक में नोट किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसी बैठक के कार्यवृत्त का हिस्सा बनाया जाएगा।

निदेशकों और समितियों की कार्यवाही का कार्यवृत्त।

१५५) कंपनी निदेशक मंडल और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई पुस्तक या पुस्तकों में विधिवत दर्ज करेगी। मिनटों में शामिल होगा

1. बैठक में कार्यवाही का एक निष्पक्ष और सही सारांश;

2. निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी समिति की बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम;

3. बोर्ड और बोर्ड की समिति द्वारा किए गए सभी आदेश और बोर्ड और बोर्ड की समितियों की किसी भी बैठक में की गई सभी नियुक्तियां;

4. बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकों के सभी संकल्प और कार्यवाही;

5. बोर्ड या बोर्ड की समिति की बैठक में पारित प्रत्येक संकल्प के मामले में, निदेशकों के नाम, यदि कोई हो, संकल्प से असहमति या

सहमति नहीं है।

6. कार्यवृत्त में ऐसा कोई विषय शामिल नहीं किया जाएगा, जो बैठक के अध्यक्ष की राय में, -

   - यथोचित रूप से किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है या माना जा सकता है; या
   - कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक या सारहीन है; या
   - कंपनी के हितों के लिए हानिकारक है।

7. अध्यक्ष ऊपर निर्दिष्ट आधारों पर मिनटों में किसी भी मामले को शामिल करने या शामिल न करने के संबंध में पूर्ण विवेक का प्रयोग करेंगे।

8. इस धारा के प्रावधानों के अनुसार रखे गए कार्यवृत्त उसमें दर्ज कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे।

9. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड की बैठकों के संबंध में कंपनी सचिवीय मानकों का पालन करेगी, और इस तरह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित।

किसके द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और ऐसे कार्यवृत्त का प्रभाव

१५६) बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की किसी भी बैठक का कोई भी

कार्यवृत्त, यदि ऐसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा या अगली सफल बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, सभी उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किए गए प्रस्तावों के वास्तविक पारित होने और वास्तविक और नियमित लेन-देन या इस प्रकार दर्ज की गई कार्यवाही की घटना और बैठक की नियमितता का प्रमाण होगा जिसमें ऐसा हुआ प्रतीत होता है।

निदेशकों की शक्तियां

निदेशकों में निहित कंपनी की सामान्य शक्तियां

१५७) अधिनियम और इन उपहारों के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन निदेशकों द्वारा किया जाएगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे सभी कार्य और कार्य कर सकते हैं जैसे कि कंपनी इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा या अन्यथा अधिकृत है। व्यायाम करें और करें और इन उपहारों द्वारा या सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा निर्देशित या प्रयोग या किए जाने के लिए आवश्यक क़ानून द्वारा नहीं हैं, लेकिन फिर भी अधिनियम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी द्वारा समय-समय पर दिए गए इन उपहारों के अधीन, बशर्ते कि ऐसा कोई भी विनियम निदेशकों के किसी भी पूर्व कार्य को अमान्य नहीं करेगा जो कि वैध होता यदि ऐसा विनियमन होता नहीं किया गया।

१५८) बोर्ड कंपनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा,

और ऐसा केवल अपनी बैठकों में पारित प्रस्तावों के माध्यम से करेगा:

1. शेयरधारकों को उनके शेयरों पर अवैतनिक धन के संबंध में कॉल करने के लिए

2. भारत में या बाहर डिबेंचर सहित प्रतिभूतियां जारी करना;पैसे उधार लेना;कंपनी के फंड का निवेश करने के लिए;

3. ऋण देने या गारंटी देने या ऋण के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए;

वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी देना;

4.कंपनी के कारोबार में विविधता लाने के लिए;कंपनी के फंड का निवेश करने के लिए;

5.ऋण देने या गारंटी देने या ऋण के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए;

6.वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी देना;

7)कंपनी के कारोबार में विविधता लाने के लिए;

8)समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण को मंजूरी देना;

9)एक कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;

10)अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को अधिकृत करने के लिए; तथा

11) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य मामले।

बशर्ते बोर्ड किसी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा निदेशकों की किसी समिति, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या किसी अन्य प्रमुख अधिकारी या कंपनी के शाखा कार्यालय के मामले में शाखा कार्यालय के प्रधान अधिकारी को प्रतिनिधि दे सकता है। कंपनी की, अधिनियम की धारा 179 में निर्दिष्ट सीमा तक उप-अनुच्छेद (3), (4) और (5) में निर्दिष्ट शक्तियां।

कुछ शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक कंपनी की सहमति

१५९) 1. बोर्ड सामान्य बैठक में कंपनी की सहमति के अलावा विशेष प्रस्ताव पारित करके निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा:

(ए) कंपनी के पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा निपटाने के लिए या जहां कंपनी के पास एक से अधिक उपक्रम हैं, ऐसे किसी भी उपक्रम के पूरे या काफी हद तक।

व्याख्या। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

i. "उपक्रम" का अर्थ एक ऐसा उपक्रम होगा जिसमें कंपनी का निवेश बीस प्रतिशत से अधिक हो। पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित

बैलेंस शीट या एक उपक्रम जो बीस प्रतिशत उत्पन्न करता है, के अनुसार इसके निवल मूल्य का। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय का;

ii. किसी भी वित्तीय वर्ष में अभिव्यक्ति "पर्याप्त रूप से संपूर्ण उपक्रम" का अर्थ बीस प्रतिशत होगा। या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार उपक्रम के मूल्य से अधिक;

(बी) ट्रस्ट प्रतिभूतियों में अन्यथा निवेश करने के लिए किसी भी विलय या समामेलन के परिणामस्वरूप प्राप्त मुआवजे की राशि;

(सी) पैसे उधार लेने के लिए, जहां उधार लिया जाने वाला पैसा, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ, कंपनी से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा, अपनी चुकता शेयर पूंजी, मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल से अधिक हो जाएगा। व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकर:

व्याख्या। –इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अस्थायी ऋण" का अर्थ है मांग पर या ऋण की तारीख से छह महीने के भीतर चुकाने योग्य ऋण जैसे कि अल्पकालिक, नकद ऋण व्यवस्था, बिलों की छूट और अन्य अल्पकालिक जारी करना- मौसमी प्रकृति के सावधि ऋण, लेकिन इसमें पूंजीगत प्रकृति के वित्तीय व्यय के उद्देश्य से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

(डी) किसी निदेशक से देय किसी भी ऋण को चुकाने या चुकाने के लिए

समय देना।

2. उपरोक्त उप-अनुच्छेद (सी) में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित प्रत्येक विशेष प्रस्ताव में कुल राशि निर्दिष्ट होगी, जिस तक निदेशक मंडल द्वारा धन उधार लिया जा सकता है।

3. ऊपर दिए गए उप-अनुच्छेद (ए) में निर्दिष्ट लेनदेन के लिए सहमति देने वाली कंपनी द्वारा पारित कोई भी विशेष संकल्प ऐसी शर्तों को निर्धारित कर सकता है जो इस तरह के संकल्प में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, जिसमें बिक्री से प्राप्त आय के उपयोग, निपटान या निवेश के संबंध में शर्तें शामिल हैं। लेनदेन से परिणाम:

बशर्ते कि इस उप-अनुच्छेद को इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार छोड़कर कंपनी को अपनी पूंजी में किसी भी कमी को प्रभावित करने के लिए अधिकृत करने के लिए नहीं समझा जाएगा।

4. उपरोक्त उप-अनुच्छेद (सी) द्वारा लगाई गई सीमा से अधिक कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ऋण वैध या प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि ऋणदाता यह साबित नहीं करता है कि उसने ऋण को सद्भावपूर्वक और इस ज्ञान के बिना दिया है कि उस खंड द्वारा लगाई गई सीमा थी पार हो गया।

निदेशकों को दी गई विशिष्ट शक्तियां

१६०) इन उपहारों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संबंधित सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि निदेशकों के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी: -

1. कंपनी के प्रचार, गठन, स्थापना और पंजीकरण के लिए प्रारंभिक और आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए;
2. विदेश में उपयोग के लिए आधिकारिक मुहर होना;
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विदेशी रजिस्टर रखना;
4. कंपनी के लिए किसी भी संपत्ति के अधिकार या विशेषाधिकार को खरीदने या अन्यथा हासिल करने के लिए जिसे कंपनी को ऐसी कीमत पर और आम तौर पर ऐसे नियमों और शर्तों पर हासिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि वे उचित समझ सकते हैं;

संपत्ति के लिए भुगतान करने के लिए

5. किसी भी संपत्ति या अधिकार या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं या सेवाओं के लिए भुगतान करने के अपने विवेक पर, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से नकद में, या शेयरों, बांडों, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों में, और ऐसे किसी भी शेयर पूरी तरह से भुगतान के रूप में या उस पर भुगतान के रूप में जमा की गई राशि के साथ जारी किया जा सकता है, जिस पर सहमति हो सकती है; और इस तरह के किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों पर या तो कंपनी की संपत्ति के सभी या किसी

हिस्से पर विशेष रूप से शुल्क लगाया जा सकता है और इसकी अघोषित पूंजी या इतना चार्ज नहीं किया जा सकता है;

संपत्तियों का बीमा करने के लिए

6. आग से या अन्यथा नुकसान या क्षति के खिलाफ बीमा और बीमा रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए और इस हद तक कि वे इमारतों, मशीनरी, सामान, स्टोर, उत्पादन और के सभी या किसी हिस्से को उचित समझ सकते हैं। और कंपनी की अन्य चल संपत्ति या तो अलग से या सह-संयुक्त रूप से; माल के सभी या किसी हिस्से का बीमा करने के लिए, कंपनी द्वारा आयातित या निर्यात की जाने वाली मशीनरी और अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने और इस शक्ति के अनुसरण में प्रभावित बीमा की किसी भी पॉलिसी को बेचने, असाइन करने, आत्मसमर्पण करने या बंद करने के लिए;

बैंक खाते खोलने के लिए

7. किसी भी बैंक या बैंकर या किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति के साथ खाते खोलने के लिए और समय-समय पर ऐसे किसी भी खाते से पैसे का भुगतान करने और पैसे निकालने के लिए जैसा कि निदेशक उचित समझ सकते हैं;

अनुबंध करने और सुरक्षित करने के लिए ;

8. ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों में प्रवेश करने और ऐसे सभी

अनुबंधों को रद्द करने और बदलने और कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को निष्पादित और निष्पादित करने के लिए, जैसा कि वे किसी भी मामले के लिए या उसके संबंध में विचार कर सकते हैं। पूर्वोक्त या अन्यथा कंपनी के उद्देश्य के लिए और कंपनी द्वारा कंपनी की सभी या किसी भी संपत्ति के गिरवी या प्रभार द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध या सगाई की पूर्ति को सुरक्षित करने के लिए और इसकी अवैतनिक पूंजी कुछ समय के लिए ऐसे अन्य तरीके से जो वे उचित समझते हैं;

शर्तें संलग्न करने के लिए

9. कंपनी के साथ किसी अनुबंध या संपत्ति के लिए प्रतिफल या प्रतिफल के हिस्से के रूप में जारी किए जाने वाले किसी भी शेयर को संलग्न करने के लिए, या कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान में, ऐसी शर्तें जैसे कि उसके हस्तांतरण के लिए जैसा कि वे उचित समझते हैं;

शेयरों आदि के समर्पण को स्वीकार करने के लिए

10. किसी भी सदस्य से ऐसे नियमों और शर्तों पर स्वीकार करने के लिए जो उसके शेयरों या स्टॉक या उसके किसी हिस्से के समर्पण पर सहमत होंगे;

न्यासी नियुक्त करने के लिए

11. किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों (चाहे निगमित हों या नहीं) को कंपनी से संबंधित किसी भी संपत्ति को स्वीकार करने और ट्रस्ट में रखने के लिए या जिसमें वह रुचि रखता है, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए और ऐसे सभी कार्यों और चीजों को निष्पादित करने और करने के लिए नियुक्त करने के लिए ऐसे किसी न्यास के संबंध में और ऐसे न्यासी या न्यासी के पारिश्रमिक की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित हो सकता है;

कानूनी कार्यवाही शुरू करने और बचाव करने के लिए

12. कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा या अन्यथा कंपनी के मामलों से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने, संचालित करने, बचाव करने, कंपाउंड करने या छोड़ने के लिए, और किसी भी देय ऋण या किसी भी दावे के भुगतान या संतुष्टि के लिए कंपाउंड और समय देने के लिए या कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ मांगें;

मध्यस्थता का उल्लेख करने के लिए

13. कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी दावे या मांग को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना और पुरस्कारों का पालन करना और प्रदर्शन करना;

दिवालियेपन के मामलों में कार्य करना

14. दिवालियापन और दिवाला से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्य करना;

रसीदें देना

15. कंपनी को देय धन के लिए और कंपनी के दावों और मांगों के लिए रसीदें, रिलीज और अन्य निर्वहन करना और देना;

बिल आदि के निष्पादन को अधिकृत करना।

16. समय-समय पर यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी की ओर से बिलों, नोटों, प्राप्तियों, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, चेकों, लाभांश वारंटों, रिलीजों, अनुबंधों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन हकदार होगा;

पैसा निवेश करने के लिए

17. कंपनी के किसी भी ऐसे पैसे का निवेश और सौदा करना जो उसके उद्देश्यों के लिए तुरंत आवश्यक न हो, ऐसी प्रतिभूतियों में और इस तरह से जो वे उचित समझें और समय-समय पर ऐसे निवेशों को बदलने या महसूस करने के लिए;

क्षतिपूर्ति के रूप में सुरक्षा प्रदान करना

18. किसी भी निदेशक या अन्य व्यक्ति के पक्ष में कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से निष्पादित करने के लिए, जो कंपनी के लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भविष्य) के ऐसे बंधक

के रूप में कंपनी के लाभ के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व वहन कर सकता है या करने वाला है, जैसा कि वे सोचते हैं फिट, और ऐसे किसी भी बंधक में बिक्री की शक्ति और ऐसी अन्य शक्तियां, अनुबंध और प्रावधान हो सकते हैं जिन पर सहमति होगी;

कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए प्रदान करना।

19. कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों और पत्नियों और परिवारों या आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के कनेक्शन के लिए घरों या आवासों के निर्माण या योगदान या अनुदान या धन पेंशन, भत्ते, बोनस, पूर्व के कल्याण के लिए प्रदान करना -ग्रेटिया या अन्य भुगतान या समय-समय पर और बनाकर, प्रोविडेंट और अन्य संघों, संस्थानों, फंडों या ट्रस्टों की सदस्यता लेना या योगदान देना और शिक्षा, शिक्षा और मनोरंजन, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और अन्य सहायता के लिए प्रदान करना या सदस्यता लेना या योगदान देना जैसा कि कंपनी उचित समझे;

चैरिटेबल फंड आदि के लिए सदस्यता लेने के लिए।

20. किसी भी राष्ट्रीय, धर्मार्थ, परोपकारी, सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी वस्तु के लिए या किसी प्रदर्शनी या किसी संस्था, क्लब, समाज या निधि के लिए धन की सदस्यता या गारंटी देना;

रिजर्व आदि के लिए अलग से राशि निर्धारित कर

21. किसी भी लाभांश की सिफारिश करने से पहले, कंपनी के मुनाफे में से, रकम को अलग रखने के लिए, जैसा कि निदेशक मूल्यह्रास या मूल्यह्रास निधि के लिए या रिजर्व के रूप में या आरक्षित निधि या डूबने वाले फंड या किसी विशेष फंड को आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उचित समझ सकते हैं या डिबेंचर को भुनाने के लिए या मरम्मत, सुधार के लिए, कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से का विस्तार और रखरखाव या ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि निदेशक अपने पूर्ण विवेक से कंपनी के हितों के लिए अनुकूल समझ सकते हैं, और निदेशक कई राशियों को अलग रखा जा सकता है या जितना आवश्यक हो उतना निवेश कर सकते हैं ऐसे निवेशों पर निवेश किया जाना (अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन) जैसा कि निदेशक ठीक समझे; और समय-समय पर इस तरह के निवेशों से निपटते हैं और बदलते हैं और कंपनी के लाभ के लिए सभी या किसी भी हिस्से का निपटान और आवेदन और खर्च करते हैं, इस तरह से और ऐसे उद्देश्यों के लिए निदेशकों (पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन) के रूप में पूर्ण विवेकाधिकार कंपनी के हितों के अनुकूल लगता है, भले ही जिन मामलों पर निदेशक लागू होते हैं या जिन पर वे इसका विस्तार करते हैं, या उसका कोई भाग ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर या जिस पर कंपनी के पूंजीगत धन को सही तरीके से लागू या खर्च किया जा सकता है; और निदेशक रिजर्व या किसी फंड को ऐसे विशेष फंड में

विभाजित कर सकते हैं और किसी भी राशि को एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि निदेशक उचित समझे, और मूल्यह्रास फंड सहित उपरोक्त सभी या किसी भी फंड को बनाने वाली संपत्ति को नियोजित कर सकते हैं। कंपनी का व्यवसाय या डिबेंचर की खरीद या पुनर्भुगतान में और यह कि उसे अन्य परिसंपत्तियों से अलग रखने के लिए बाध्य किए बिना, और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य किए बिना, हालांकि, निदेशकों को अपने विवेक से इस तरह के फंड ब्याज का भुगतान करने या क्रेडिट करने की अनुमति देने की शक्ति के साथ उस समय के लिए लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन निदेशक उचित समझ सकते हैं;

अधिकारियों आदि की नियुक्ति करना।

22. स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए ऐसी समिति या विशेषज्ञों, तकनीशियनों या सलाहकारों या ऐसे प्रबंधकों, अधिकारियों, क्लर्कों, कर्मचारियों और प्रबंधकों की समितियों या समितियों को नियुक्त करना और अपने विवेक पर निलंबित या निलंबित करना, जैसा कि वे समय-समय पर उचित समझें, और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए और उनके वेतन और परिलब्धियों को निर्धारित करने के लिए और समय-समय पर मामलों के प्रबंधन और लेनदेन के लिए प्रदान करने के लिए ऐसे मामलों में और ऐसी राशियों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो वे उचित समझे, और पूर्वोक्त पूर्वाग्रह के बिना भी। कंपनी के भारत में किसी भी

निर्दिष्ट इलाके में इस तरह से जैसा कि वे उचित समझते हैं और निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों (25) और (26) में निहित प्रावधान इस उप-अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे;

स्थानीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

23. किसी भी स्थानीय कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, जो उनकी राय में, कंपनी के हित में अनुपालन करने के लिए आवश्यक या समीचीन होगा;

वकीलों की नियुक्ति के लिए

24. किसी भी समय और समय-समय पर, लेकिन अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों और इन प्रस्तुतियों के अधीन, पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शक्तियों, प्राधिकरणों के साथ कंपनी के वकील या वकील के रूप में नियुक्त करने के लिए और विवेकाधिकार (इन उपहारों के तहत निदेशकों द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य से अधिक नहीं) और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो निदेशक हो सकते हैं, समय-समय पर, ठीक समझे और ऐसी कोई भी नियुक्ति (यदि निदेशक ठीक समझे) सदस्यों के पक्ष में या किसी कंपनी के पक्ष में या किसी कंपनी या फर्म के सदस्यों, निदेशकों, नामितों या प्रबंधकों के पक्ष में या अन्यथा पक्ष में की जा सकती है। निदेशकों द्वारा

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नामित व्यक्तियों के किसी भी उतार-चढ़ाव वाले निकाय का, और किसी भी मुख्तारनामा में ऐसे अटॉर्नी से निपटने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा के लिए ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो निदेशक उचित समझें;

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिनियम और इन उपहारों के प्रावधानों के अधीन, निदेशकों में निहित शक्तियों, प्राधिकरणों और विवेक को किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या उतार-चढ़ाव वाले निकाय या व्यक्तियों को पूर्वोक्त रूप में सौंपने के लिए प्रस्तुत करता है;

प्रतिनिधियों द्वारा शक्तियों का उप-प्रतिनिधिमंडल

25. पूर्वोक्त किसी भी प्रतिनिधि या वकील को निदेशकों द्वारा सभी या किसी भी शक्ति के प्राधिकारियों और विवेकाधिकार में निहित होने के लिए उप-प्रतिनिधि के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए

26. ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए और ऐसे सभी अनुबंधों को फिर से सौंपना और बदलना और कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को निष्पादित करना और करना, जैसा कि वे किसी के लिए या उसके संबंध में समीचीन समझ सकते हैं कंपनी के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त

या अन्यथा मामला;

के व्यवसाय के नियमन के लिए नियम बनाना, संशोधित करना, बदलना, संशोधित करना और लागू करना;

कंपनी के प्रयोजनों के लिए एक सामान्य मुहर प्रदान कर सकता है और समय-समय पर उसे नष्ट करने और उसके बदले एक नई मुहर को प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी।

बोर्ड की शक्ति

१६१) (1) बोर्ड के पास इन लेखों के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन समाशोधन निगम के संचालन को व्यवस्थित, रखरखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) इन लेखों के प्रावधानों के अधीन, निदेशकों के पास समाशोधन निगम के व्यवसाय के संचालन से संबंधित किसी भी या सभी मामलों के लिए समय-समय पर नियम, उप-नियम और विनियम बनाने की शक्ति और व्यापक अधिकार होगा और नियंत्रण, परिभाषित करने के लिए और ऐसे सभी लेन-देन को विनियमित करना और ऐसे कार्य और चीजें करना जो समाशोधन निगम या कंपनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।

(3) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड

के पास निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए नियम, उप-नियम और विनियम बनाने, बनाने, संशोधित करने, बदलने, संशोधित करने और लागू करने की शक्ति होगी: -

i. समाशोधन निगम की समाशोधन सदस्यता में प्रवेश के लिए शर्तें।

ii. समाशोधन निगम के व्यवसाय का संचालन।

iii. नियमों, उप-नियमों, विनियमों या समाशोधन निगम के उपयोग के अधीन निगम के व्यवसाय के संबंध में निगम के समाशोधन सदस्यों का आचरण।

iv. क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कारोबार के लेन-देन का समय, स्थान और तरीका..

v. नियमों की अवज्ञा या उल्लंघन के लिए दंड, नियमों, उप-नियमों और विनियमों या निगम के सामान्य अनुशासन का उल्लंघन, जिसमें समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों का निष्कासन या निलंबन शामिल है।

vi. समाशोधन निगम के किसी समाशोधन सदस्य को चूककर्ता या निलंबन, या समाशोधन निगम की समाशोधन सदस्यता से त्यागपत्र या बहिष्करण और उसके परिणामों की घोषणा।

vii. कमीशन का मान या शुल्क जो समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्य ले सकते हैं।समाशोधन निगम की समाशोधन सदस्यता में प्रवेश या सदस्यता जारी रखने के लिए प्रवेश या सदस्यता के लिए शर्तें, शुल्क। समय-समय पर

निर्धारित लेनदेन के लिए समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों द्वारा देय प्रभार।

viii. क्लियरिंग कॉरपोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों की वित्तीय स्थितियों, व्यावसायिक आचरण और व्यवहार की जांच।

ix. समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों और उन व्यक्तियों जो समाशोधन सदस्य नहीं हैं, के बीच और साथ ही समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों और ऐसे व्यक्ति जो समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्य नहीं हैं, के बीच किसी भी लेनदेन से संबंधित विवादों, शिकायतों, दावों का निपटारा नियमों, उपनियमों और विनियमों के अधीन बनाई गई प्रतिभूतियां और नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटान सहित समाशोधन निगम के उपयोग, समय-समय पर लागू होने वाले समाशोधन निगम के उप-नियम और विनियम और उपयोग।

x. समाशोधन गृहों की स्थापना और कामकाज या समाशोधन के लिए अन्य व्यवस्था।

xi. समाशोधन निगम के किसी भी प्रयोजन के लिए समितियों की नियुक्ति।

(4) बोर्ड को कार्यकारी समिति या किसी समिति या किसी व्यक्ति को, उसमें निहित सभी या किन्हीं शक्तियों को, समाशोधन निगम के सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के लिए प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।

(5) इन उपहारों के प्रावधानों, और एससीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी अधिनियम और नियमों या सेबी के किसी भी निर्देश के अधीन, बोर्ड को नियमों, उपनियमों और विनियमों में बदलाव, संशोधन या निरसन या जोड़ने का अधिकार होगा। इसके द्वारा तैयार किया गया।

(6) बोर्ड को ऐसे कदम/आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो कंपनी की गतिविधियों को चलाने के लिए पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और ऐसी अन्य कार्रवाई जो उससे जुड़ी और प्रासंगिक हैं।

प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी

१६२) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन

i. एक प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड द्वारा ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकता है जो वह ठीक समझे; और इस प्रकार नियुक्त किसी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड के एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है;

ii. एक निदेशक को प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

2. एक निदेशक और प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी

द्वारा या किसी चीज़ को करने के लिए आवश्यक या अधिकृत करने वाले अधिनियम या इन विनियमों का एक प्रावधान इसके द्वारा या एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों निदेशक के रूप में कार्य करने से संतुष्ट नहीं होगा और प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में या उनके स्थान पर।

मुहर

१६३) (i) बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

(ii) कंपनी की मुहर, यदि कोई हो, बोर्ड के एक संकल्प के अधिकार या उस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत बोर्ड की एक समिति के अधिकार के अलावा किसी भी उपकरण पर नहीं लगाई जाएगी, और की उपस्थिति को छोड़कर कम से कम एक निदेशक या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे; और यह कि एक निदेशक या इस प्रकार अधिकृत अन्य व्यक्ति प्रत्येक लिखत पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुहर इस प्रकार चिपकाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले शेयर और अन्य प्रमाणपत्र कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षरित और सील किए जाएंगे।

लाभांश

वितरित किए जाने वाले लाभ

१६४) कंपनी का लाभ, अधिनियम की धारा 123 से 127 के प्रावधानों के अधीन और इन लेखों द्वारा सृजित या सृजित करने के लिए अधिकृत किसी विशेष अधिकार के अधीन और इन लेखों के प्रावधानों के अधीन विभाज्य होगा। सदस्यों को उनके द्वारा शेयरों पर भुगतान की गई या जमा की गई पूंजी की राशि के अनुपात में क्रमशः।

कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है

१६५) कंपनी आम बैठक में संबंधित अधिकारों और मुनाफे में ब्याज के अनुसार सदस्य को भुगतान किए जाने वाले लाभांश की घोषणा कर सकती है और भुगतान के लिए समय तय कर सकती है।

लाभांश को सीमित करने के लिए शेयरधारकों की शक्तियां

१६६) कंपनी आम बैठक में सदस्यों को उनके संबंधित अधिकार के अनुसार लाभांश का भुगतान करने की घोषणा कर सकती है लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा लेकिन कंपनी आम बैठक में एक छोटे लाभांश की घोषणा कर सकती है।

अंतरिम लाभांश

१६७) बोर्ड समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकता है जो उनके निर्णय में कंपनी की स्थिति को उचित ठहराता है।

अग्रिम कॉल पर कोई लाभांश नहीं

१६८) जब पूंजी का भुगतान कॉल के अग्रिम में किया जाता है, तो ऐसी पूंजी पर ब्याज लग सकता है, लेकिन उसके संबंध में लाभांश या लाभ में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश।

१६९) सभी लाभांश का विभाजन और भुगतान उस अवधि के किसी भी हिस्से या हिस्से के दौरान शेयरों पर भुगतान या जमा की गई राशि के अनुपात में किया जाएगा, जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया गया है; लेकिन अगर कोई शेयर इस शर्त पर जारी किया जाता है कि यह किसी विशेष तारीख से लाभांश के लिए रैंक करेगा तो ऐसा शेयर तदनुसार लाभांश के लिए रैंक करेगा।

लाभांश के लिए रसीद

१७०) कई व्यक्तियों में से कोई एक जो किसी शेयर के संयुक्त धारक के रूप में पंजीकृत है, सभी लाभांश या बोनस के लिए प्रभावी रसीद दे सकता है और ऐसे शेयरों के संबंध में देय लाभांश या अन्य धन के भुगतान के लिए प्रभावी रसीद दे सकता है।

कंपनी के ऋणी सदस्य लाभांश के हकदार नहीं हैं

१७१) कोई भी सदस्य अपने शेयरों के पैसे के संबंध में कंपनी का ऋणी होने पर अपने शेयर या शेयरों के संबंध में किसी भी ब्याज या लाभांश

का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा या अन्यथा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से;और बोर्ड किसी भी सदस्य को देय ब्याज या लाभांश से कंपनी को समय-समय पर देय सभी धनराशि काट सकता है।

लाभांश का अधिकार पंजीकरण से पहले हस्तांतरित नहीं किया जाना

१७२) शेयरों का हस्तांतरण हस्तांतरण के पंजीकरण से पहले उस पर घोषित किसी लाभांश के अधिकार को पारित नहीं करेगा।

लाभांश कैसे प्रेषित

१७३) जब तक अन्यथा निर्देशित न हो, किसी भी लाभांश का भुगतान चेक या वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से या पे-स्लिप या रसीद द्वारा किया जा सकता है जिसमें चेक या वारंट का बल डाक के माध्यम से या वैध इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित सदस्य या व्यक्ति या संयुक्त धारकों के मामले में। ऐसा प्रत्येक चेक या वारंट उस व्यक्ति के आदेश के अनुसार देय होगा जिसे वह भेजा गया है। कंपनी किसी भी चेक या वारंट या पे-स्लिप या ट्रांसमिशन में खो जाने वाली रसीद के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगी, या किसी भी चेक या वारंट या किसी पर जाली हस्ताक्षर के जाली समर्थन द्वारा सदस्य या उसके हकदार व्यक्ति को खोए हुए लाभांश के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगी। भुगतान पर्ची या रसीद या किसी

अन्य माध्यम से लाभांश की कपटपूर्ण वसूली।

दावा न किया गया लाभांश

१७४) घोषित होने के बाद भी कोई लाभांश जो भुगतान न किया गया हो और दावा न किया गया हो, अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

डिविडेंड और कॉल एक साथ हो

१७५) लाभांश की घोषणा करने वाली कोई भी आम बैठक निदेशकों की सिफारिश पर सदस्यों से उतनी राशि की मांग कर सकती है जितनी बैठक तय करती है, लेकिन ताकि प्रत्येक सदस्य की कॉल उसे देय लाभांश से अधिक न हो, ताकि कॉल किया जा सके। लाभांश के रूप में एक ही समय में देय; और लाभांश, यदि ऐसा है तो कंपनी और सदस्य के बीच व्यवस्थित किया जा सकता है, कॉल के खिलाफ सेट ऑफ किया जा सकता है।

मुनाफे का पूंजीकरण

१७६) (ए) कंपनी आम बैठक में यह संकल्प ले सकती है कि कोई भी पैसा, निवेश या अन्य संपत्ति जो अविभाजित लाभ का हिस्सा बनती है (लाभ या अधिशेष धन सहित जो वसूली से उत्पन्न होता है और (जहां कानून द्वारा अनुमति दी जाती है) किसी के मूल्य में वृद्धि से कंपनी की पूंजीगत संपत्ति) रिजर्व या रिजर्व फंड या कंपनी के किसी अन्य फंड

या कंपनी के हाथों में जमा और शेयरों के मुद्दे पर प्राप्त लाभांश या प्रतिनिधित्व प्रीमियम के लिए उपलब्ध और शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट के लिए खड़े होने पर पूंजीकृत किया जाना चाहिए:

- कंपनी के पूर्ण प्रदत्त शेयरों, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बांड या अन्य प्रतिभूतियों या दायित्वों के निर्गम और वितरण द्वारा, या
- कंपनी के शेयरों को जमा करके, जिन्हें जारी किया गया हो सकता है और पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है या पूरी तरह से बकाया राशि के किसी भी हिस्से के साथ भुगतान नहीं किया गया है।

(बी) उपरोक्त (ए) (i) के तहत इस तरह के मुद्दे और वितरण और ऊपर (ए) (ii) के तहत अवैतनिक शेयर पूंजी के क्रेडिट के लिए ऐसा भुगतान सदस्यों या उनके किसी वर्ग या उनमें से किसी के पक्ष में किया जाएगा। उसका हकदार है और उनके संबंधित अधिकारों और हितों के अनुसार और उनके द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान की गई पूंजी की राशि के अनुपात में, जिसके संबंध में (ए) (i) के तहत ऐसा वितरण या (ए) (ii) के तहत भुगतान किया जाएगा। इस आधार पर बनाया जाना चाहिए कि ऐसे सदस्य पूंजी के रूप में इसके हकदार हो जाएं।

सी) निदेशक इस तरह के किसी भी संकल्प को प्रभावी करेंगे और रिजर्व या रिजर्व फंड या किसी अन्य फंड के मुनाफे के ऐसे हिस्से को लागू करेंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है और शेयरों,

डिबेंचर या डिबेंचर-स्टॉक के लिए पूर्ण भुगतान करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है। , बांड या अन्य प्रतिभूतियों या कंपनी के दायित्वों को (ए) (i) के तहत वितरित किए गए शेयरों पर बकाया शेष पर जो जारी किए गए हैं और उपरोक्त (ए) (ii) के तहत पूरी तरह से भुगतान नहीं किए गए हैं। बशर्ते कि ऐसा कोई वितरण या भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निदेशकों द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है और यदि इसकी सिफारिश की जाती है, तो इस तरह के वितरण और भुगतान को उक्त पूंजीकृत राशि में उनके हित की पूर्ण संतुष्टि में पूर्वोक्त सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इस तरह के किसी भी संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकते हैं जो कि वितरण या भुगतान के संबंध में उत्पन्न हो सकता है जैसा कि वे उचित समझते हैं और विशेष रूप से वे आंशिक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और किसी विशिष्ट के वितरण के लिए मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। संपत्ति और यह निर्धारित कर सकता है कि किसी भी सदस्य को इस प्रकार निर्धारित मूल्य के आधार पर नकद भुगतान किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी नकद, शेयर, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बांड या अन्य प्रतिभूतियों या दायित्वों को ट्रस्टियों में ऐसे ट्रस्टों पर उस व्यक्ति के लिए निहित कर सकता है जिसके लिए वह हकदार है निदेशकों के लिए समीचीन लग सकता है और आम तौर पर ऐसे शेयरों,

डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बॉन्ड या अन्य दायित्वों और आंशिक प्रमाणपत्रों की स्वीकृति, आवंटन और बिक्री के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं या अन्यथा जैसा कि वे उचित समझें। बशर्ते कि अधिनियम के प्रावधानों और इन उपहारों के अधीन, ऐसे मामलों में जहां कंपनी के कुछ शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया है और अन्य का आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, केवल ऐसे पूंजीकरण को आगे के शेयरों के वितरण से प्रभावित किया जा सकता है। पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर, और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को पूरी तरह से या उस पर अवैतनिक देयता के हिस्से के साथ जमा करके, लेकिन पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के धारकों के बीच और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों पर देयता की समाप्ति या कमी में ऐसा होगा उस राशि के अनुपात में यथानुपात लागू किया गया था, जो पहले से भुगतान की गई थी या मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों पर भुगतान के रूप में जमा की गई थी।

डी) जब आवश्यक समझा जाए तो अधिनियम के अनुसार एक उचित अनुबंध दायर किया जाएगा और बोर्ड किसी भी व्यक्ति को कंपनी के शेयरों के धारकों की ओर से ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जो इस तरह के पूंजीकरण से पहले जारी किए गए होंगे, और ऐसी नियुक्ति

प्रभावी होगा।

हिसाब किताब

खातों की पुस्तकें रखी जानी हैं

१७७) (1) कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खाता बही और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करेगी और रखेगी जो कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देती है, जिसमें इसके शाखा कार्यालय या कार्यालय, यदि कोई हो, और पंजीकृत कार्यालय और उसकी शाखाओं दोनों में किए गए लेनदेन की व्याख्या करें और ऐसी पुस्तकों को प्रोद्भवन के आधार पर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखा जाएगा।

उपरोक्त सभी या कोई भी खाता बही और अन्य प्रासंगिक कागजात भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जा सकते हैं जैसा कि निदेशक मंडल निर्णय ले सकता है और जहां ऐसा निर्णय लिया जाता है, कंपनी उसके सात दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए लिखित में एक नोटिस:

इस तरह के खातों या अन्य प्रासंगिक कागजात को इलेक्ट्रॉनिक मोड में इस तरह से रखा जा सकता है जैसा कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

(2) जहां किसी कंपनी का भारत में या भारत के बाहर एक शाखा कार्यालय है, यह माना जाएगा कि उसने उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है, यदि शाखा कार्यालय में किए गए लेनदेन से संबंधित खाते की उचित किताबें उस कार्यालय में रखी जाती हैं। और उचित संक्षिप्त विवरणियां समय-समय पर शाखा कार्यालय द्वारा कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय या अन्य स्थान पर भेजी जाती हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है

(3) एक वित्तीय वर्ष से ठीक पहले आठ वित्तीय वर्षों की अवधि से संबंधित प्रत्येक कंपनी के खाते की किताबें, या जहां कंपनी आठ साल से कम की अवधि के लिए अस्तित्व में थी, सभी पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में एक साथ खाते की ऐसी पुस्तकों में किसी भी प्रविष्टि के लिए प्रासंगिक वाउचर अच्छे क्रम में रखे जाएंगे:

बशर्ते कि जहां अध्याय XIV के तहत कंपनी के संबंध में एक जांच का आदेश दिया गया है, केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि खाते की किताबें इतनी लंबी अवधि के लिए रखी जा सकती हैं, जैसा कि वह उचित समझे।

खातों का निरीक्षण

१७८) बोर्ड समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस समय और स्थान पर और किन शर्तों या विनियमों के तहत कंपनी या उनमें से किसी के खाते की किताबें निदेशक नहीं होने

वाले सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली होंगी और किसी भी सदस्य (निदेशक नहीं होने के नाते) को कंपनी के किसी भी खाते या पुस्तकों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय कानून द्वारा प्रदत्त या बोर्ड द्वारा अधिकृत।

लेखा विवरण और सामान्य बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

१७९) निदेशकों को समय-समय पर अधिनियम की धारा 129 और 134 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में कंपनी के समक्ष ऐसे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने होंगे जो इन अनुभागों द्वारा आवश्यक हैं।

बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट की प्रतियों के लिए सदस्यों का अधिकार

१८०) इस तरह के प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक प्रति, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न या संलग्न करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक हर अन्य दस्तावेज वार्षिक आम बैठक से कम से कम इक्कीस दिन पहले होगा। जिसे सदस्यों के सामने रखा जाना है, कंपनी के सदस्यों को भेजा जाना है; कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर धारकों को (जो डिबेंचर नहीं हैं, जो कि उसके धारक को देय हैं) ऐसे डिबेंचर के धारकों के लिए न्यासी और कंपनी की आम बैठक की सूचना प्राप्त करने के हकदार अन्य सभी व्यक्तियों को।

वित्तीय विवरण सदस्यों को इस तरह से परिचालित किया जाएगा जैसा

कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है

यदि कंपनी की कोई सहायक या सहायक कंपनियां हैं, तो वह, -

(ए) अपनी प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में उसकी वेबसाइट पर, यदि कोई हो, जगह/अलग लेखापरीक्षित खाते;

(बी) कंपनी के किसी भी शेयरधारक को, जो इसकी मांग करता है, अपनी प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति प्रदान करें।

समेटना

संपत्ति का वितरण

१८१) यदि कंपनी बंद हो जाती है, और सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध संपत्ति पूरी चुकता पूंजी को चुकाने के लिए अपर्याप्त होगी, तो ऐसी संपत्ति को वितरित किया जाएगा ताकि जितना हो सके नुकसान वहन किया जाए सदस्यों को दी गई पूंजी के अनुपात में, या जिन्हें समापन के प्रारंभ में भुगतान किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा धारित शेयरों पर क्रमशः; तथा और यदि परिसमापन में सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध संपत्ति, परिसमापन के प्रारंभ में भुगतान की गई पूरी पूंजी को चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी, तो अतिरिक्त को पूंजी के अनुपात में सदस्यों के बीच वितरित किया

जाएगा। समापन की शुरुआत, भुगतान किया गया, या, जो क्रमशः उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर भुगतान किया जाना चाहिए था। लेकिन यह अनुच्छेद विशेष अवधि पर जारी किए गए शेयरों के धारकों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होना चाहिए

प्रजाति या वस्तु में वितरण

१८२) यदि कंपनी को स्वेच्छा से या अन्यथा परिसमाप्त किया जाएगा, तो परिसमापक एक विशेष संकल्प की मंजूरी के साथ, कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से में, विशेष रूप से या वस्तु के रूप में योगदानकर्ताओं के बीच विभाजित कर सकते हैं और इस तरह के मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं वह किसी भी संपत्ति को पूर्वोक्त के रूप में विभाजित करने के लिए उचित समझता है और यह निर्धारित कर सकता है कि सदस्यों या सदस्यों के विभिन्न वर्गों के बीच इस तरह का विभाजन कैसे किया जाएगा, और इसी तरह की मंजूरी के साथ, कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से को ट्रस्टियों में योगदानकर्ताओं के लाभ के लिए, या उनमें से किसी के रूप में समान मंजूरी के साथ परिसमापक के रूप में निहित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई योगदानकर्ता नहीं होगा किसी भी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर, जहां कोई देयता है।

बिक्री के मामले में शेयरधारकों का अधिकार

१८३) अधिनियम की धारा 319 के अनुसार विधिवत पारित किसी अन्य

कंपनी को बिक्री की मंजूरी देने वाला एक विशेष प्रस्ताव, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पूर्वोक्त तरीके से निर्धारित कर सकता है कि परिसमापक द्वारा प्राप्त किसी भी शेयर या अन्य विचार सदस्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। अन्यथा उनके मौजूदा अधिकारों के अनुसार ऐसा कोई भी निर्धारण सभी सदस्यों को असहमति के अधिकारों के अधीन बाध्यकारी होगा और उक्त धारा द्वारा प्रदत्त परिणामी अधिकार।

क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व

निदेशकों को क्षतिपूर्ति

१८४) निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी या कंपनी के अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ट्रस्टी, यदि कोई हो, कंपनी के किसी भी मामले के संबंध में कार्य कर रहे हैं, और प्रत्येक उनमें से एक और उनके वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों में से प्रत्येक को कंपनी की संपत्ति और मुनाफे से क्षतिपूर्ति और सुरक्षित किया जाएगा और सभी कार्रवाइयों, लागतों, आरोपों, नुकसान, क्षति, और खर्चों के खिलाफ, जो वे या उनमें से कोई भी, या उनके निष्पादक या प्रशासक किसी भी कार्य के कारण या उसके निष्पादन में या छोड़े गए किसी भी कार्य के कारण हो सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। उनके कर्तव्य, या कथित कर्तव्य, उनके संबंधित कार्यालय या ट्रस्ट, यदि कोई हो, को छोड़कर, जैसा कि वे क्रमशः अपनी जानबूझकर उपेक्षा या चूक के माध्यम से या उसके माध्यम से करेंगे या बनाए रखेंगे।

बचाव आदि में किए गए दायित्व के खिलाफ क्षतिपूर्ति दीवानी या आपराधिक कार्रवाई

१८५) पूर्वोक्त के अधीन, कंपनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी और कर्मचारी को किसी भी कार्यवाही का बचाव करने में उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या जिसमें उसे बरी कर दिया जाता है या अधिनियम की धारा 463 के तहत किसी भी आवेदन के संबंध में जिसमें न्यायालय द्वारा उसे राहत दी जाती है।

कोई निदेशक या अधिकारी दूसरों के कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा

१८६) कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रबंधक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षा या चूक के लिए या किसी रसीद या अन्य अधिनियम में शामिल होने के लिए या कंपनी के माध्यम से कंपनी को होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कंपनी के लिए या कंपनी की ओर से निदेशकों के आदेश द्वारा अर्जित किसी भी संपत्ति के लिए अपर्याप्तता या शीर्षक की कमी या किसी भी सुरक्षा की अपर्याप्तता या कमी के लिए या पर, जिसमें कंपनी के किसी भी पैसे का निवेश किया जाएगा या किसी व्यक्ति, कंपनी या निगम के दिवालिएपन, दिवाला या कपटपूर्ण कार्य से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए, कंपनी या निगम, जिसके साथ कोई पैसा, प्रतिभूतियां या प्रभाव सौंपा जाएगा

या जमा किया जाएगा या उसकी ओर से निर्णय या निरीक्षण की किसी भी त्रुटि से हुई किसी भी हानि के लिए या किसी अन्य हानि या क्षति या दुर्भाग्य के लिए जो भी निष्पादन में होगा अपने कार्यालय के कर्तव्यों या उसके संबंध में जब तक कि ऐसा उसकी अपनी बेईमानी या लगन से किए गए किसी कार्य के माध्यम से न हो।

१८७) एक स्वतंत्र निदेशक, और एक गैर-कार्यकारी निदेशक, जो प्रमोटर या एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है, केवल कंपनी द्वारा चूक या कमीशन के कृत्यों के संबंध में उत्तरदायी होगा, जो उसके ज्ञान के साथ हुआ था, जो बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से जिम्मेदार था, और उसकी सहमति या मिलीभगत से या जहां उसने लगन से काम नहीं किया है।

शेयरों के संयुक्त धारक

शेयर के संयुक्त धारक

१८८) जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत हैं, रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को कंपनी से जुड़े मामलों के लिए एकमात्र धारक माना जाएगा, जो लेखों में निहित निम्नलिखित और अन्य प्रावधानों के अधीन है;

1. कंपनी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में चार से अधिक व्यक्तियों को पंजीकृत करने से इनकार करने की हकदार होगी।

2. किसी भी शेयर के संयुक्त धारक सभी कॉलों और अन्य भुगतानों के

लिए अलग-अलग और साथ ही संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, जो ऐसे शेयर के संबंध में किए जाने चाहिए

3. ऐसे किसी भी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, उत्तरजीवी (ओं) को कंपनी द्वारा शेयर के किसी भी शीर्षक के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र व्यक्ति होगा, लेकिन निदेशकों को मृत्यु के ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि वे उचित समझे और यहां कुछ भी नहीं किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित शेयरों पर किसी भी देयता से मृत संयुक्त धारकों की संपत्ति को मुक्त करने के लिए लिया जाएगा।

4. ऐसे संयुक्त धारकों में से कोई भी ऐसे शेयर के संबंध में देय किसी लाभांश या अन्य धन के लिए प्रभावी रसीद दे सकता है।

5. केवल वह व्यक्ति जिसका नाम किसी शेयर के संयुक्त धारकों में से एक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में पहले स्थान पर है, कंपनी से ऐसे शेयर से संबंधित प्रमाण पत्र के वितरण या दस्तावेज़ (जिस अभिव्यक्ति में सभी दस्तावेज शामिल माना जाएगा) प्राप्त करने का हकदार होगा। और ऐसे व्यक्ति को दी गई कोई सूचना या तामील किए गए दस्तावेज़ को सभी संयुक्त धारकों की सेवा समझा जाएगा।

दो या दो से अधिक संयुक्त धारकों में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा या ऐसे शेयरों के संबंध में प्रॉक्सी द्वारा किसी भी बैठक में मतदान कर सकता है जैसे कि वह पूरी तरह से हकदार था और यदि ऐसे

संयुक्त धारकों में से एक से अधिक व्यक्तिगत रूप से या किसी भी बैठक में उपस्थित हों प्रॉक्सी या अटॉर्नी द्वारा तो ऐसे उपस्थित व्यक्तियों में से एक जिसका नाम पहले या उच्चतर है (जैसा भी मामला हो) इस तरह के शेयरों के संबंध में रजिस्टर पर अकेले ही उसके संबंध में वोट देने का हकदार होगा, लेकिन अन्य या अन्य संयुक्त धारकों को बैठक में उपस्थित होने के हकदार होंगे बशर्ते कि बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित संयुक्त धारक व्यक्तिगत रूप से हकदार होंगे अटॉर्नी या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित संयुक्त धारक को वरीयता में वोट पहले या उच्चतर (जैसा भी मामला हो) ऐसे शेयरों के संबंध में रजिस्टर में। एक मृत सदस्य के कई निष्पादक या प्रशासक जिनके (मृत सदस्य के) एकमात्र नाम में कोई शेयर स्टैंड है, इस खंड के उद्देश्य के लिए एक संयुक्त धारक माना जाएगा

उधार लेने की शक्तियां

शर्तें जिन पर पैसा उधार लिया जा सकता है

१८९) अधिनियम की धारा 73, 179 और 180 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, बोर्ड, समय-समय पर, एक आम बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा सदस्यों या जनता से जमा या उधार ले सकता है और ऐसी राशि या राशियों के भुगतान को इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों पर हर तरह से बढ़ा सकता है और सुरक्षित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे।

निदेशकों के नियंत्रण के अधीन बांड, डिबेंचर आदि

१९०) कंपनी द्वारा जारी या जारी किए जाने वाले किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां निदेशकों के नियंत्रण में होंगी जो उन्हें ऐसे नियमों और शर्तों पर और इस तरह से और इस तरह के विचार के लिए जारी कर सकते हैं जैसा कि वे विचार करेंगे। कंपनी के लाभ के लिए हो।

प्रतिभूतियों को इक्विटी से मुक्त असाइन करने योग्य बनाया जा सकता है

१९१) डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी और उस व्यक्ति के बीच किसी भी इक्विटी से मुक्त किया जा सकता है जिसे यह जारी किया जा सकता है।

अकारण पूंजी का गिरवी रखना

१९२) यदि कंपनी की कोई भी गैर-जरूरी पूंजी किसी गिरवी या अन्य प्रतिभूति में शामिल है या चार्ज की गई है, तो निदेशक उस व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं जिसके पक्ष में इस तरह के बंधक या सुरक्षा को निष्पादित किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट में सदस्यों को कॉल करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऐसी अघोषित पूंजी के संबंध में और कॉल के संबंध में यहां पहले दिए गए प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे प्राधिकरण के तहत की गई कॉलों पर लागू होंगे और इस तरह के प्राधिकरण को या तो सशर्त या बिना शर्त और या तो वर्तमान या आकस्मिक रूप से और बोर्ड की शक्ति के बहिष्करण के

लिए या अन्यथा प्रयोग करने योग्य बनाया जा सकता है और यदि ऐसा व्यक्त किया जाता है तो असाइन किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति दी जा सकती है

१९३) यदि निदेशक या उनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति कंपनी से प्राथमिक रूप से देय किसी राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है, तो निदेशक किसी भी बंधक, प्रभार या सुरक्षा को निष्पादित कर सकते हैं या निष्पादित कर सकते हैं या संपूर्ण या कंपनी की संपत्ति का कोई भी हिस्सा क्षतिपूर्ति के रूप में निदेशकों या व्यक्ति को इस तरह के दायित्व के संबंध में किसी भी नुकसान से पूर्वोक्त रूप से उत्तरदायी बनने के लिए सुरक्षित करता है।

रखे जाने वाले प्रभारों का रजिस्टर

१९४) बोर्ड अधिनियम की धारा 85 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले सभी गिरवी, डिबेंचर और शुल्कों के लिए एक उचित रजिस्टर रखेगा, और बंधकों और शुल्कों के पंजीकरण के संबंध में और लेनदारों या प्रभारों के रजिस्टर के सदस्यों को दिए जाने वाले निरीक्षण और शुल्क बनाने वाले उपकरणों की प्रतियों के संबंध में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा। इस तरह की राशि जो अधिनियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है, शुल्क रजिस्टर के प्रत्येक निरीक्षण के लिए लेनदार या कंपनी के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय होगी।

लेखा परीक्षकों

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

१९५) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को अधिनियम की धारा 139 से 147 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति

१९६) कंपनी के पहले लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को कंपनी के पंजीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसे लेखा परीक्षक को नियुक्त करने में बोर्ड की विफलता के मामले में, यह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा, जो नब्बे दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में ऐसे लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और ऐसा लेखा परीक्षक पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर रहेगा

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एक ऑडिटर को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकती है।

दस्तावेज़ और नोटिस

नोटिस या अन्य दस्तावेजों की तामील

१९७ (1) कंपनी द्वारा किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या डाक

द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड या अन्य मोड के माध्यम से जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है, एक दस्तावेज या नोटिस दिया जा सकता है। उसके पंजीकृत पते पर या, यदि उसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है, तो उस पते पर, यदि कोई हो, भारत में, उसके द्वारा कंपनी को दिए गए दस्तावेजों या नोटिसों के लिए दिया गया है।

(2) जहां कोई दस्तावेज या नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है, नोटिस के दस्तावेज की सेवा को दस्तावेज या नोटिस वाले पत्र को ठीक से संबोधित, पूर्व-भुगतान और पोस्ट करके प्रभावी माना जाएगा, बशर्ते कि जहां किसी सदस्य ने सूचित किया हो कंपनी को अग्रिम रूप से कि दस्तावेज या नोटिस उसे पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत या पंजीकृत डाक द्वारा पावती के साथ या उसके बिना भेजा जाना चाहिए और कंपनी के पास इतनी राशि जमा कर दी है कि दस्तावेज या नोटिस की सेवा के खर्च को चुकाने के लिए पर्याप्त राशि तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि यह उसे पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत या पंजीकृत डाक द्वारा देय पावती के साथ या बिना नहीं भेजा जाता है और , दस्तावेज़ या नोटिस वाले पत्र को पोस्ट करने के अड़तालीस घंटे की समाप्ति पर बैठक की सूचना के मामले में ऐसी सेवा को प्रभावी माना जाएगा, और किसी भी मामले में, उस समय जब पत्र होगा डाक के सामान्य क्रम में सुपुर्द किया जाए।

बिना पंजीकृत पते वाले सदस्य की सेवा

१९८) कार्यालय के आस-पड़ोस में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में विज्ञापित एक दस्तावेज या नोटिस को उस दिन या प्रत्येक सदस्य को, जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिसकी आपूर्ति नहीं की गई है, उस दिन या जिस दिन विज्ञापन प्रदर्शित होता है, विधिवत तामील की गई या भेजी गई समझी जाएगी। कंपनी को भारत के भीतर किसी भी पते पर दस्तावेज़ परोसने या उसे नोटिस भेजने के लिए।

विज्ञापन

१९९) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कंपनी द्वारा या सदस्यों या उनमें से किसी को परोसने या भेजने के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज, और इन उपहारों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया, विधिवत सेवा या भेजा गया माना जाएगा, यदि महाराष्ट्र में प्रसारित होने वाले एक दैनिक अंग्रेजी और एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में एक बार विज्ञापित किया जाता है।

पहले संयुक्त धारकों को नोटिस की तामील

२००) कंपनी द्वारा या शेयर के संयुक्त धारकों को दस्तावेज या नोटिस देकर या ऐसे शेयर के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में पहले नामित संयुक्त धारक को एक दस्तावेज या नोटिस दिया या दिया जा सकता है। प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों को दस्तावेज़ की सेवा

२०१) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालियेपन के परिणामस्वरूप शेयर के हकदार व्यक्तियों को कंपनी द्वारा एक दस्तावेज या नोटिस दिया जा सकता है या दिया जा सकता है, इसे प्रीपेड पत्र में डाक के माध्यम से उन्हें नाम या

शीर्षक से संबोधित किया जा सकता है मृतक के प्रतिनिधियों या दिवालिया के समनुदेशिती या किसी भी समान विवरण द्वारा भारत में पते (यदि कोई हो) पर हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की गई है, या (इस तरह के पते की आपूर्ति किए जाने तक) दस्तावेज़ नोटिस को किसी भी तरीके से तामील करने के लिए, यदि मृत्यु या दिवाला नहीं हुआ होता तो वही दिया जा सकता था।

किसको नोटिस की तामील

२०२) प्रत्येक आम बैठक के दस्तावेज या नोटिस उसी तरीके से दिए या दिए जाएंगे जैसे कि (ए) प्रत्येक सदस्य (बी) प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप हिस्सेदारी का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, और (सी) कंपनी के समय के लिए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक और (डी) कंपनी के निदेशक।

नोटिस से बाध्य व्यक्ति

२०३) प्रत्येक व्यक्ति जो कानून के संचालन, हस्तांतरण या अन्य माध्यमों से किसी भी हिस्से का हकदार होगा, ऐसे शेयर के संबंध में प्रत्येक दस्तावेज या नोटिस से बाध्य होगा, जो उसके नाम और पते के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होने से पहले होगा। , उस व्यक्ति को विधिवत सेवा दी गई हो या दी गई हो, जिससे उसने ऐसे शेयरों के लिए अपना शीर्षक प्राप्त किया हो।

नोटिस पर हस्ताक्षर

२०४) कंपनी द्वारा दिए जाने वाले या दिए जाने वाले किसी भी दस्तावेज या

नोटिस पर किसी निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा इस तरह के उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर लिखित, मुद्रित या लिथोग्राफ किए जा सकते हैं।

कंपनी पर नोटिस की सेवा

२०५) किसी सदस्य द्वारा या कंपनी या उसके किसी अधिकारी को तामील किए जाने वाले या दिए जाने वाले सभी दस्तावेज या नोटिस, कंपनी या अधिकारी को कार्यालय में डाक द्वारा पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत या पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर दिए या दिए जाएंगे। , या इसे कार्यालय में छोड़कर या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड या अन्य मोड के माध्यम से जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

सदस्य के मृत होने पर भी मान्य सूचना

२०६) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इन उपहारों या दस्तावेजों के अनुसरण में दी गई कोई भी नोटिस डाक द्वारा भेजी या भेजी गई या किसी सदस्य के पंजीकृत पते पर या उसके द्वारा दिए गए पते पर इन उपहारों के अनुसरण में अनुच्छेद 188 के तहत दिए गए पते पर , इस तरह के सदस्य के होते हुए भी मृत हो जाएगा और कंपनी को उसकी मृत्यु की सूचना है या नहीं, यह माना जाएगा कि किसी पंजीकृत शेयर के संबंध में विधिवत तामील की गई है, क्या इस तरह के सदस्य द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से या संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है जब तक कि कुछ अन्य व्यक्तियों को उसके स्थान पर धारक या संयुक्त धारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया

जाता है, और ऐसी सेवा इन उपहारों के सभी उद्देश्यों के लिए इस तरह के नोटिस या दस्तावेजों की पर्याप्त सेवा मानी जाएगी उसके वारिस, निष्पादक या प्रशासक और सभी व्यक्ति, यदि कोई हो, उसके साथ ऐसे किसी शेयर में संयुक्त रूप से रुचि रखता है।

दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

२०७) अधिनियम, या इन लेखों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले दस्तावेज़ या कार्यवाही या कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किए गए अनुबंधों पर किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या कंपनी के किसी भी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। इस संबंध में निदेशक मंडल।

गोपनीयता

गोपनीयता खंड

२०८) (ए) प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, लेखा परीक्षक, सचिव, ट्रस्टी, एक समिति के सदस्य, अधिकारी, नौकर, एजेंट, लेखाकार या कंपनी के व्यवसाय में कार्यरत अन्य व्यक्ति, यदि निदेशकों द्वारा अपने कर्तव्यों को निभाने से पहले ऐसा करना आवश्यक है, तो एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। ग्राहकों के साथ कंपनी के सभी लेन-देन और मामलों और व्यक्तियों के साथ खातों की स्थिति के संबंध में खुद को सख्त गोपनीयता का पालन करने के लिए और उससे

संबंधित मामलों में और इस तरह की घोषणा के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके ज्ञान में आने वाले किसी भी मामले को प्रकट नहीं करने की प्रतिज्ञा करेगा, सिवाय इसके कि जब निदेशकों या कानून द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो, जिसे ऐसा इन प्रस्तुत में निहित किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने के लिए जहां तक आवश्यक हो, को छोड़कर मामले संबंधित हैं।

संपत्ति की जानकारी आदि तक पहुंच।

(बी) कोई भी सदस्य या अन्य व्यक्ति (निदेशक या नियामक के अलावा) बोर्ड की अनुमति के बिना कंपनी की संपत्ति में प्रवेश करने या कंपनी के परिसर या संपत्तियों या कंपनी के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण या जांच करने का हकदार नहीं होगा। कंपनी के निदेशकों के समय के लिए या कंपनी के व्यापार के किसी भी विवरण या किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की खोज या किसी भी जानकारी की आवश्यकता होती है जो व्यापार रहस्य की प्रकृति में है या हो सकती है, व्यापार का रहस्य या गुप्त प्रक्रिया या कोई भी मामला जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन से संबंधित हो सकता है और जो बोर्ड की राय में कंपनी के हित में खुलासा या संवाद करने के लिए अनुचित होगा।

हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसाय यहां दिए गए हैं, एसोसिएशन के इस अनुच्छेद के अनुसरण में एक कंपनी में गठित होने के इच्छुक हैं:

सीरियल क्रमांक	अभिदाताओं का नाम, पता, विवरण और व्यवसाय	प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	सदस्यता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय
1	नीलेश धीरजलाल शाह, 501, 5वीं मंजिल, राधिका सीएचएस, गुलमोहर रोड, प्लॉट नंबर 55, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 049, सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय-सेवा/ सर्विस	1	Sd/-	मैं उस ग्राहक का साक्षी हूं जिसने 09 अप्रैल, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे मेरी उपस्थिति में सदस्यता ली और हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मैंने उसकी पहचान के लिए उसकी पहचान के विवरण की पहचान की है और उसके पहचान विवरण से खुद को संतुष्ट किया है जैसा कि इसमें दर्ज किया गया है: हस्ताक्षर: Sd/-
2	सौरभ मनोज नानावटी, बी 3/4, 535, मेघदूत, लिंकिंग रोड, खार टेलीफोन एक्सचेंज के पास, खार (पश्चिम), मुंबई 400 052 सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय-	1	Sd/-	

	इनवेस्को एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेडके मुख्य कार्यकारी अधिकारी।			नाम : प्रदीप कुमार पुरवार पिता का नाम : गोपाल कृष्ण पुरवार पता: डी-1/1202, मेपल, नीलकंठ ग्रीन्स, हैप्पी वैली के पीछे, मनपाड़ा, ठाणे पश्चिम - 400 610, महाराष्ट्र, भारत व्यवसाय: पेशेवर
3	अथमनाथन बालासुब्रमण्यम, बंगला नंबर 18, लक्ष्मी निवास, अतूर पार्क सीएचएसएल, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400 071 सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय- सर्विस	1	Sd/-	
4	विनय मुरलीधर टोनसे, सी/ 11, किनेलन टॉवर, 100ए नेपियन सी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र 400 006, सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय- सर्विस	1	Sd/-	
5	राधिका गुप्ता, 3, एलिसियम, 67 डी मोंटे पार्क रोड, बांद्रा जिमखाना के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई 400050	1	Sd/-	मैं उस ग्राहक का साक्षी हूं जिसने 09 अप्रैल, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे मेरी उपस्थिति में सदस्यता ली और हस्ताक्षर किए। इसके अलावा

	सब्सक्राइबर, व्यवसाय-सर्विस			मैंने उनकी पहचान के लिए उनके पहचान विवरण की पहचान की है और उनके पहचान विवरण से खुद को संतुष्ट किया है जैसा कि इसमें दर्ज किया गया है: हस्ताक्षर: Sd/- नाम : प्रदीप कुमार पुरवार पिता का नाम : गोपाल कृष्ण पुरवार पता: डी-1/1202, मेपल, नीलकंठ ग्रीन्स, हैप्पी वैली के पीछे, मनपाड़ा, ठाणे पश्चिम - 400 610, महाराष्ट्र, भारत व्यवसाय: पेशेवर
6	गोपालकृष्णन प्रदीपकुमार, 203, मेफेयर गार्डन, आजाद लेन, शॉपर्स स्टॉप के पीछे, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, 400 058,सब्सक्राइबर, व्यवसाय-पेशेवर (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ)	1	Sd/-	
7	वेंकटेश श्रीनिवासन, 501, हंसराज सीएचएस, यूनियन पार्क सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई-400071 सब्सक्राइबर, व्यवसाय-सेवा	1	Sd/-	
	कुल	**7**		

दिनांक: 09/04/2021

स्थान: मुंबई

"अस्वीकरण: - इस मसौदा एसोसिएशन के लेख का अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी तरह से नियंत्रित होगा और हिंदी भाषा संस्करण के साथ किसी भी विसंगति के मामले में मान्य होगा।"